रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D.)-73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 14, 1976/श्रावण 23, 1898

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 14, 1976/SRAVANA 23, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

## PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

### मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1976

**सा०का०नि०1182.**—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधायें) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधायें) सातवां संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम 20 में जहां कहीं "पूर्णतया" शब्द आया है, उसका लोप किया जाएगा।

[संख्या 25011/6/76-ए०आई०एस०(II)]

वी० के० चेरियन, डैस्क अधिकारी

### CABINET SECRETARIAT

**(Department of Personnel & Administrative Reforms)**

New Delhi, the 24th July, 1976

**G.S.R. 1182.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules, further to amend the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Seventh Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.

2. In Rule 20 of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, the word "thoroughly" wherever it occurs, shall be omitted.

[No. 25011/6/76-AIS(II)]

V. K. CHERIAN, Desk Officer



58 GI/76—1

## विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 1183.—कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 624क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पश्चिमी बंगाल विधि परामर्शी के अन्तर्गत तालिका विधिविज्ञ श्री दुलाल कृष्ण मित्रा को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश, सियालदह, पश्चिमी बंगाल के न्यायालय के समक्ष, ऊपर कथित अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न मामलों की पैरवी के लिये कम्पनी अभियोजक के पद पर नियुक्त करती है ।

[सं० 2/77/76-सी०एल० 4]

जी० सी० खुल्लर, अवर सचिव

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 26th July, 1976

**G.S.R. 1183.**—In exercise of the powers conferred by Section 624A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri Dulal Krishna Mitra, Panel lawyer under the Legal Remembrancer, West Bengal, as company Prosecutor for conducting cases arising out of the aforesaid Act, before the Court of First Class Magistrate, Sealdah, West Bengal.

[No. 2/77/76-CL.IV]

G. C. KHULLAR, Under Secy.

## योजना आयोग

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 1184.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) आर्थिक अन्वेषक श्रेणी 2 भर्ती नियम, 1973 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) आर्थिक अन्वेषक श्रेणी 2 भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) आर्थिक अन्वेषक श्रेणी 2 भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची में, स्तम्भ 11 में "स्थानान्तरण" शीर्षक के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

"ऐसे अधिकारियों में से, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार में समतुल्य या सदृश पद धारण कर रहे हों और केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से, जो 330-560 रु० के वेतनमान वाले पद धारण कर रहे हों और जिन्हें आधार-सामग्री (डाटा) के विश्लेषण का 5 वर्ष का अनुभव हो तथा जिनके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएं हों।"

[फाइल सं० पी०ई०ओ०/ए० 12018/2/71-प्रशा० I(प्रशा०IV]

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 19th July, 1976

**G.S.R. 1184.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Programme Evaluation Organisation (Planning Commission) Economic Investigator Grade II Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Programme Evaluation Organisation (Planning Commission) Economic Investigator Grade II Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Programme Evaluation Organisation (Planning Commission) Economic Investigator Grade II Recruitment Rules, 1973, in column 11, for the entry under the heading "Transfer", the following entry shall be substituted namely :—

"From amongst the officers holding similar, equivalent or analogous posts in the Central Government or a State Government and from among the officers of the Central Government holding posts in the scale of Rs. 330-560 with 5 years experience in the analysis of data and having educational qualifications prescribed for direct recruits".

[File No. PEO/A-12018/2/71-Adm.I(Adm.IV)]

नई दिल्ली, 22 जुलाई 1976

सा०का०नि० 1185.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना आयोग प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन (संगणक केन्द्र अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम योजना आयोग प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन (संगणक केन्द्र अननुसचिवीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. योजना आयोग प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन (संगणक केन्द्र अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में संयुक्त सचिव के पद से सम्बद्ध क्रम सं० 1 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| संयुक्त सचिव | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह-क | 1500-60-1800 रु० | चयन | 45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये शिथिलनीय) (टिप्पण :—आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्रों में है) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी)। | आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त अथवा विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित में (सांख्यिकी या संक्रियीय में प्रशिक्षण सहित) मास्टर की उपाधि या समतुल्य। (2) सांख्यिकीय डाटा प्रक्रमण कार्य में 8 वर्ष का अनुभव (इसमें कम से कम 5 वर्ष का वस्तुत; संगणन, प्रोग्रामन या पद्धति डिजाइन में अनुभव भी सम्मिलित है)। (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिल की जा सकेंगी)। वांछनीय : (1) प्रणाली विश्लेषण में या उन्नत संगणक प्रणाली में प्रशिक्षण; (2) यूनिट रिकार्ड प्रक्रमण का अनुभव। |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा/की जायेगी/किया जायेगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां | 2 वर्ष | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | प्रोन्नति : ज्येष्ठ प्रोग्रामक जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 3 वर्ष सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन समरूप पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 1100-1600 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर | विभागीय प्रोन्नति समिति समूह-क जिस में निम्नलिखित होंगे : 1. सदस्य संघ लोक सेवा आयोग— ....अध्यक्ष 2. प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन प्रशासन का भारसाधक, संयुक्त सचिव, ....सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की हो और स्तम्भ 7 में सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) | 3. प्रमुख (प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन)<br>4. योजना आयोग के भावी योजना प्रभाग का कोई अधिकारी जो प्रमुख के रैंक के नीचे का न हो—<br>सदस्य | |

[फा० सं० ए० 12018/3/75-प्रशा०/IV]

बी० एस० यादव, उप-सचिव

New Delhi, the 22nd July, 1976

**G.S.R. 1185.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Planning Commission, Programme Evaluation Organisation, (Computer Centre, non-Secretariat posts) Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Planning Commission, Programme Evaluation Organisation, (Computer Centre, Non-Secretariat posts—Joint Director) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Planning Commission, Programme Evaluation Organisation (Computer Centre, Non-Secretariat posts) recruitment Rules, 1974, for Serial Number 1 relating to the post of Joint Director and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

| Name of Post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or Non-Selection Post | Age limit for direct recruits. | Educational and other Qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Joint Director | 1 | General Central Service Group 'A' | Rs. 1500-60-1800 | Selection | 45 years. (Relaxable for Govt. servants)<br>(NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (other than those in the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). | Essential :<br>(i) Master's degree in statistics or Mathematics (with Statistics or Training in Statistic) of a recognised University or equivalent.<br>(ii) 8 years' experience of Statistical Data Processing Work (including at least 5 year's experience of actual Computer Programming or Systems design).<br>(Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified; in particular the qualifications regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes).<br>Desirable :<br>(i) Training in system analysis or advanced computer system.<br>(ii) Experience of unit record processing. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a D.P.C. exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Age : No Educational Qualifications : Yes. | 2 years | By promotion failing which by transfer on deputation and failing both, by direct recruitment. | Promotion :<br>Senior Programmers with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.<br>Transfer on Deputation :<br>Officers under the Central Government holding analogous posts, or with three years' service in posts in the Scale of Rs. 1100-1600 or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis, and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in Col. 7.<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years.) | Departmental Promotion Committee Group 'A' consisting of :<br>1. Member, Union Public Service Commission —Chairman.<br>2. Joint Secretary in charge of administration of the Programme Evaluation Organisation. —Member<br>3. Chief (Programme Evaluation Organisation). —Member<br>4. An Officer of the Prospective Planning Division of the Planning Commission, not below the rank of Chief —Member | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[F. No. A-12018/3/75-Adm. IV)
B. S. YADAV, Dy. Secy.

## योजना मंत्रालय

### (सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1976

**सा०का०नि० 1186.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (श्रेणी I तथा श्रेणी II पद) भर्ती नियम, 1973 में आगे और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. (1) ये नियम समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1976 कहे जायें।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान, प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (श्रेणी I और II पद) भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची में लेखा-एवं प्रशासन अधिकारी के पद से संबंधित क्र० सं० 6 के सामने :

(1) कालम 10 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।";

(2) कालम 11 में विद्यमान प्रविष्टि के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि को शामिल किया जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण

केन्द्रीय सरकार के अधिकारी जो समान पदों पर काम कर रहे हों अथवा 425-800 रु० के वेतनमान वाले या समकक्ष पदों पर 8 वर्ष की सेवा, जिन्हें स्थापना, बजट एवं नकदी तथा लेखा कार्य का अनुभव हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)"

[सं० ए० 12018/3/75-रा० प्र० सर्वे-II]

## MINISTRY OF PLANNING

### (Department of Statistics)

New Delhi, the 28th July, 1976

**G.S.R. 1186.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Data Processing Division and Survey Design and Research Division, National Sample Survey Organisation (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Data Processing Division and Survey Design and Research Division, National Sample Survey Organisation (Class I and Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Data Processing Division and Survey Design and Research Division, National Sample Survey Organisation (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1973, against serial No. 6 relating to the post of Accounts-cum-Administrative Officer,—

(i) in column 10, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"By promotion failing which by transfer on deputation.";

(ii) in column 11, below the existing entry, the following entry shall be inserted, namely :—

"Transfer on deputation :

Officers under the Central Government holding analogous posts or with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 425-800 or equivalent and having experience in establishment, budget and cash and accounts work.

(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years)."

[No. A. 12018/3/75-NSS.II]

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1976

**सा० का० नि० 1187**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा समंक विधायन प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी विभाग, योजना मंत्रालय में हिन्दी अनुवादक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ :—(1) ये नियम समंक विधायन प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (हिन्दी अनुवाद) भर्ती नियम, 1976 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. पदसंख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के 2 से लेकर 4 तक के कालमों में दिये गये हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के 5 से लेकर 14 तक के कालमों में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं :—(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करता है या विवाह की संविदा करता है जिसका कि एक पति/जिसकी कि एक पत्नी जीवित हो, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जोकि पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है/करती है अथवा विवाह की संविदा करता है/करती है सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों में से कोई भी नियम, इस बारे में समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये प्रदान किये जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के नियम 30 के अधीन जोड़े गये सेवा के वर्षों का ग्राह्य लाभ इस पद पर लागू होता है | प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद | सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा | सीधी भर्ती वालों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| हिन्दी अनुवादक | 5 | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय | रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 | नहीं | लागू नहीं होता | 21 और 30 वर्ष के बीच | अनिवार्य :—<br>हिन्दी माध्यम तथा डिग्री स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में सामान्य अंग्रेजी सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री ।<br>अथवा<br>अंग्रेजी माध्यम तथा डिग्री स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में सामान्य हिन्दी सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री । |

| क्या सीधी भर्ती वालों के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति किये जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती पद्धति, सीधी भर्ती या पदोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से भर्ती किये जाने पर वे ग्रेड जिनमें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किये जाने है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है ? | वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा | स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के मामले में : समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग अथवा केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में कार्यरत अवर श्रेणी लिपिक अवर श्रेणी लिपिकों के चयन से जिनकी उक्त ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो तथा कालम 8 में निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) । | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[सं० ए०-12018/2/76 रा०प्र०सर्व-II]
आर० एन० सक्सेना, उप सचिव

New Delhi, the, 29th July, 1976.

G.S.R. **1187**.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Translator in the Data Preocessing Division, National Sample Survey Organisation, Department of Statistics, Ministry of Planning, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Data Processing Division, National Sample Survey Organisation (Hindi Translator) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay : The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc : The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the schedule aforesaid.

4. Disqualification : No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax : Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the ScheduledCastes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether the benefit of added years of service admissible under rule 30 of C.C.S (Pension) Rules is applicable to the postts). | Whether Selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hindi Translator | 5 | General Central Service Group 'C' (Non-gazetted) Ministerial. | Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700 | No | Not applicable | Between 21 and 30 years | Essential : Degree of a recognised University with Hindi medium and with General English one of the elective subjects at degree level, OR Degree of a recognised University with English medium and with General Hindi as one of the elective subjects at degree level. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation / transfer, grades from which promotion /deputation/ transfer to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not applicable | 2 years | 100% by direct recruitment failing which by transfer on deputation | In case of transfer/on deputation : Selection from Upper Division Clerks/Lower Division Clerks in the Data Processing Division and Survey Design & Research Division or other Central Government Offices with atleast 5 years service in that grade and possessing educational qualifications prescribed in column 8. (Period of deputation normally not exceeding 3 years.) | Not applicable | Not applicable |

[No. A-12018/2/76-NSS-II]
R. N. SAXENA, Dy. Secy.,

## वित्त मंत्रालय

## राजस्व और बैंकिंग विभाग

### (बैंकिंग पक्ष)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 1188.—राष्ट्रपति, संविधान की धारा 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कलकत्ता न्यायालय परिसमापक के कार्यालय में श्रेणी-I के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नीर्षक और प्रारम्भ :—(1) ये नियम न्यायालय परिसमापक (श्रेणी-I) (कलकत्ता उच्च न्यायालय) भरती नियम, 1976 कहे जायेंगे।

(2) भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से वे लागू होंगे।

2. प्रयुक्ति :—इन नियमों के साथ संलग्न अनुबन्ध के कालम 1 में निर्धारित पदों पर ये नियम लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके साथ संलग्न वेतनमान वही होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुबन्ध के कालम 2 से 4 में निर्धारित हैं ।

4. भरती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुबन्ध के कालम 5 से 13 में निर्धारित हैं ।

5. अर्हताएं :—कोई व्यक्ति, जिसने

(1) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का वचन दिया है जिसकी पत्नी/पति जीवित है, अथवा

(2) अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का वचन दिया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाये कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली वैयक्तिक विधि के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो वह इस शर्त के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

6. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक अथवा इष्टकर है तो वह कारणों का लिखित रूप से उल्लेख करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेशों द्वारा इन नियमों के किसी उपबन्ध में, किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों अथवा किसी पद के सम्बन्ध में, छूट दे सकती है ।

7. व्यावृत्ति :—केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्ग विशेष के व्यक्तियों के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उन्हें आरक्षण और अन्य छूट दी जानी है उस पर इन नियमों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**अनुबन्ध**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद है अथवा गैर-चयन पद | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु-सीमा | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. न्यायालय परिसमापक | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I राजपत्रित | रु० 1500-60-1800-100-2000 | लागू नहीं होता | 45 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट दी जा सकती है ) । | अनिवार्य :—<br>(1) बम्बई/कलकत्ता उच्च न्यायालय के अटर्नी अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की अथवा समकक्ष विधि (ला) की डिग्री ।<br>(2) अटर्नी/वकील के रूप में 12 वर्ष का अनुभव किन्तु संयुक्त पूंजी (ज्वाइंट स्टाक) कम्पनियों के मामलों का अनुभव होना अच्छा होगा अथवा किसी सरकारी विभाग में कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) से संबंधित कम्पनी विधि विधान के प्रशासन का 12 वर्ष का अनुभव ।<br>(अन्यथा भली प्रकार योग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है )<br>अपेक्षित :—<br>(1) प्रशासनिक अनुभव ।<br>(2) बैंकिंग विधि और प्रथाओं और लेखाकारिता (अकाउंटेंसी) में विशिष्ट योग्यताएं/अनुभव |

| क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की विधि-सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्त/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| आयु : नहीं<br>शैक्षिक योग्यताएं : हां | 2 वर्ष | प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण/पदोन्नति, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से चुनाव किया जायेगा, ऐसा न होने पर की दशा में सीधी भर्ती द्वारा। | प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण/पदोन्नति : केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा (विधि शाखा) के ग्रेड I के अधिकारी अथवा उस सेवा के ग्रेड II के अधिकारी जिनकी उस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो गयी है अथवा राज्य जुडिसियल सेवा के समकक्ष पद पर काम करने वाले अधिकारी सहायक न्यायालय परिसमापक (विधि के रूप में नियमित नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा कर लेने वाले विभागीय सहायक न्यायालय परिसमापक (विधि) के बारे में भी विचार किया जायेगा। यदि सहायक न्यायालय परिसमापक के इस पद पर नियुक्ति किया गया तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा माना जायेगा। (सामान्य रूप से प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी) | लागू नहीं होता | कालम 10 में की गयी व्यवस्था के साथ पठित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 में यथापेक्षित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. सहायक न्यायालय परिसमापक (विधि) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I राजपत्रित | रु० 1100-50-1600 | लागू नहीं होता | 40 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट दी जा सकती है)। | अनिवार्य :<br>(1) बम्बई/कलकत्ता उच्च न्यायालय के अटर्नी अथवा किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय की अथवा समकक्ष विधि (लॉ) की डिग्री।<br>(2) अटर्नी/वकील के रूप में 10 वर्ष का अनुभव किन्तु संयुक्त पूंजी (जवाइंट स्टाक) कम्पनियों के मामलों का अनुभव होना अच्छा होगा अथवा किसी सरकारी विभाग में कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) से संबंधित कम्पनी विधि विधान के प्रशासन का 10 वर्ष का अनुभव।<br>(अन्यथा भली प्रकार योग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है)।<br>अपेक्षित :<br>(1) प्रशासनिक अनुभव।<br>(2) बैंकिंग विधि और प्रथाओं और लेखाकारिता (अकाउंटेंसी) में विशिष्ट योग्यताएं/अनुभव। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अनुसार यथा अपेक्षित । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. सहायक न्यायालय परिसमापक (लेखा) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I राजपत्रित | रु० 1100-50-1600 | लागू नहीं होता | 40 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट दी जा सकती है) | अनिवार्य : (1) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान अथवा भारतीय लागत और निर्माण कार्य लेखा संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर में नाम लिखाने के लिये मान्य योग्यता अथवा उसके समकक्ष । (2) चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत और निर्माण कार्य लेखाकार के रूप में 5 वर्ष का अनुभव किन्तु संयुक्त पूंजी (ज्वाइंट स्टाक) कम्पनी का अनुभव होना अच्छा होगा । (3) प्रशासनिक अनुभव (अन्यथा भली प्रकार योग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है) । अपेक्षित :— भारतीय बैंकर संस्थान की सदस्यता अथवा उसके समकक्ष योग्यता । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अनुसार यथा अपेक्षित । |

[सं 2(10)-बी. ओ. III/74]
जे० सी० राय, निदेशक

## MINISTRY OF FINANCE
## DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING

### (Banking Wing)

New Delhi, the 31st July, 1976

**G.S.R. 1188.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class I posts in the Office of the Court Liquidator, Calcutta, namely :—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Court Liquidator (Class I posts) (High Court of Calcutta) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application .—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts

Provided that the Central Government may, if satisafied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.– Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or to any of the posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

ANNEXURE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Court Liquidator | 1 | General Central Service Class I Gazetted | Rs. 1500-60-1800-100-2000 | Not applicable | 45 years (relaxable for Government servants) | Essential :<br>(i) Attorney of Bombay/Calcutta High Court or Degree in Law of a recognised University or equivalent.<br>(ii) 12 years experience as an Attorney/Legal Practitioner preferably in matters connected with Joint Stock Companies or 12 years experience of administering Company Law Legislation in a Government Department connected with the administration of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).<br>(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).<br>Desirable :<br>(i) Administrative Experience.<br>(ii) Specialised qualifications/experience in Banking Law and Practice and Accountancy. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Age : No Educational Qualifications: Yes. | 2 years | By transfer on deputation/ promotion, selection being made in consultation with the Union Public Service Commission, failing which by direct recruitment. | Transfer on deputation/promotion :<br>Grade I Officers of the Central Company Law Service (Legal Branch) or a Grade II officer of that service with 3 years' service in the grade or an officer holding analogous post in a State Judicial Service. The Departmental Assistant Court Liquidator (Law) with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis will also be considered. If the Assistant Court Liquidator (Law) is selected for appointment to the post, it will be treated as having been filled by promotion.<br>(Period of deputation shall not ordinarily exceed 4 years). | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958 read with provision under column 10. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Assistant Court Liquidator (Law) | 1 | General Central Service Class I Gazetted. | Rs. 1100-50-1600 | Not applicable. | 40 years (relaxable for Government servants). | Essential :<br>(i) Attorney of Bombay/ Calcutta High Court or Degree in Law of a recognised University or equivalent.<br>(ii) 10 years' experience as an Attorney/Legal Practitioner preferably in matters connected with Joint Stock Companies or 10 years' experience of administering Company Law Legislation in a Government Department connected with the administration of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).<br>(Qualification relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).<br>Desirable :<br>(i) Administrative experience.<br>(ii) Specialised qualifications/ experience in banking law and Practice and Accountancy. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | 2 years | By direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulation 1958. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Assistant Court Liquidator (Accounts) | 1 | General Central Service Class I Gazetted. | Rs. 1100-50-1600. | Not applicable. | 40 years (Relaxable for Government servants) | Essential :<br>(i) A qualification recognised for enrolment in the Register of Members of the Institute of Chartered Accountants of India or of the Institute of Cost and Works Accountants of India or equivalent.<br>(ii) 5 years' experience as Chartered Accountant/ Costs and Works Accountant, preferably in a Joint Stock Company.<br>(iii) Administrative experience.<br>(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).<br>Desirable :<br>A member of the Indian Institute of Bankers or possessing an equivalent qualification. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | 2 years | By direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable.. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulation 1958. |

[No.2(10)-B.O.III/74]

J. C. Roy, Director

**(Department of Expenditure)**

New Delhi, the 31st July, 1976.

**G.S.R. 1189.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely :

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) [Second Amendment] Rules, 1976;

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1976.

2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 26, in sub-rule (1)—

(i) For clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

„(a)(i)A Government servant (other than a military officer) who is serving in a Department other than a Vacation Department shall be entitled to 30 days and 31 days earned leave in alternate calendar year.

(ii) The leave account of every Government servant shall be credited with earned leave in advance in two instalments of 15 days each on the first January and July every year except that on the first of July of an even year (ending with 2,4,6,8 or 0) the credit shall be 16 days.".

(iii) for clause (b) the following clause shall be substituted; namely :—

"(b) The leave at the credit of a Government servant at the close of the previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half year do not exceed the maximum limit of 180 days."

3. For rule 27 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"27. Calculation of earned leave :

(1) Earned leave shall be credited to the leave account of a Government servant at the rate of 2½ days for each completed calendar month of service which he is likely to render in a half year of the calendar year in which he is appointed.

(2) (a) The credit for the half year in which a Government servant is due to retire or resigns from the service shall be afforded only at the rate of $2\frac{1}{2}$ days per completed calendar month upto the date of retirement or resignation.

(b) When a Government servant is removed or dismissed from service or dies while in service, credit of earned leave shall be allowed at the rate of $2\frac{1}{2}$ days per completed calendar month upto the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service or dies in service.

(3) If a Government servant has taken any leave other than earned leave in a half year, the credit to be afforded to his leave account at the commencement of the next half year shall be reduced by 1/11th of such leave, subject to the condition that the reduction so made is limited to the maximum period of earned leave that would be credited at the commencement of the next half year.

(4) While affording credit of earned leave, fractions of a day shall be rounded off to the nearest day."

4. In rule 40 of the said rules, after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"9(a) If, in the case of a Government servant who retires or resigns from the service, the leave already availed of is more then the credit so due to him necessary adjustment shall be made in respect of leave salary, if any, over drawn.

(b) Where the quantum of earned leave already availed of by a Government servant who is dismissed or removed from service or who dies while in service is in excess of the leave credited under clause (b) of sub-rule (2) of rule 27, the over payment of leave salary shall be recovered in such cases."

5. In the Second Schedule to the said rules, for form 2, the following form shall be substituted, namely :—

FORM-2

(See rule 15)

FORM OF LEAVE ACCOUNT

Name of Government servant.....Date of birth.....Date of commencement of continuous service.....Date of quasi permanent/permanent employment.....Date of retirement/resignation.....

EARNED LEAVE

| Particulars of Service in the half year of a calendar year | | Completed months of service in the half year of a calendar year | Earned Leave credited at the beginning of half year | No. of days of other kinds of leave (Half Pay leave, Commuted leave, Leave not due and Extraordinary Leave (columns 19+22+25+33+36) availed of during the previous calendar half year | Earned leave to be deducted (1/11th of the period in column 5) | Total earned leave at credit in days. (columns 4+11—column 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| From | To | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

....Earned Leave Half Pay Leave (on private affairs and.....

| Leave Taken | | | Balance of earned leave on return from leave (column 7—column 10) | Length of service | | | Credit of leave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | To | No. of days | | From | To | No. of completed year | Leave earned (in days) | Leave at credit (columns 15+35) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

.....on medical certificate including.....

| Leave taken | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| against the earning on half pay | | | Commuted leave on Medical Certificate on full pay | | | Commuted leave without medical Cetificate for studies certified to be in public interest (limited to 180 days half pay leave converted into 90 days commuted leave in entire service). | | |
| From | To | No. of days | From | To | No. of days | From | To | No. of days |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

.....commuted leave and leave not due)

| ..... Leave taken | Leave not due limited to 360 days in entire service | | | | | | Total half pay leave taken (columns 19+26+36) | Balance of half pay leave on return from leave (column 16—column 34) | Other kinds of leave taken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| commuted leave converted into half pay leave (twice of columns 22 & 25) | On Medical certificate | | | Otherwise than on Medical Certificate limited to 180 days | | Total of leave not due (columns 29+32) | | | |
| | From | To | No. of days. | From | To | No. of days | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

NOTE 1. The Earned Leave due should be expressed in days.

NOTE 2. When a Government servant is appointed during the course of a half year of a particular calendar year, earned leave should be credited at the rate of 2 1/2 days for each completed month and the fraction of a day will be rounded to the nearest day.

NOTE 3. The entries in column 6 should be in complete days. Fraction of a day will be rounded to the nearest day.

NOTE 4. Period of extraordinary leave should be noted in red ink.

NOTE 5. The entries in columns 12 and 13 should indicate only the beginning and end of completed years of service at the time the half pay leave commences. Where a Government servant completes another year of service while on half pay leave, the extra credit should be shown in columns 12 to 36 by making suitable additional entries and this should be taken into account while completing column 35".

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Government orders relating to the simplification in the rate of calculating entitlement to earned leave in respect of non-industrial Central Civil Government servants issued vide Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure O.M. No. 16(6)-E. IV(A)/74 dated 26-11-75 takes effect from 1-1-1976. The C.C.S. (Leave) Rules, 1972 are accordingly being amended with effect from 1-1-76. No Central Civil Government servant is likely to be affected adversely because of this Notification being given retrospective effect.

[No. 16(6)-E. IV(A)/74].

C. N. SUDARSANAN, Under Secy.

(व्यय प्रभाग)

(रक्षा प्रभाग)

**शुद्धि पत्र**

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1976

**सा०का०नि० 1190.**—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) तारीख 20 सितम्बर, 1975 के पृष्ठ 2632 पर प्रकाशित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) (रक्षा प्रभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का०नि० संख्या 2397 तारीख 16 अक्तूबर, 1974 में :—

नियम 1 में, अंक "1974" के स्थान पर अंक "1975" पढ़ें।

[फा० सं० ए०-12018/1/74-स्थापना-2]

जे० आर० निम, सहायक वित्तीय सलाहकार

**(Defence Division)**

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th July, 1976

**G.S.R. 1190.**—In the Ministry of Finance (Department of Expenditure, Defence Division) Staff Car Driver Recruitment Rules, 1974, published vide the Ministry of Finance (Department of Expenditure/Defence Division) Notification No. GSR 2397, dated the 16th October 1974, at page 2634 of the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (i), dated 20th September, 1975 :—

(i) In Rule 1 line 2, for the figures "1974" read "1975".

(ii) In Rule 6 line 1 for the words "Scheduled Tribes" read "Scheduled Castes and Scheduled Tribes".

[File No. A.12018/1/74-Estt.II]

J. R. NIM, Assistant Financial Adviser (Estt.).

## वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जून, 1976

**सा० का० नि० 1191.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक का कार्यालय (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक का कार्यालय (वर्ग 3 पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक का कार्यालय (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1961 की अनुसूची में, "पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी 2 और 'नक्शानवीस' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "पुस्तकालय अध्यक्ष | दो | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 (अराजपत्रित) अननुसचिवीय | 425-15-500-द०रो०-18-560-20-700 रु० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| नक्शानवीस | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 (अराजपत्रित) अननुसचिवीय | 330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| शत प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के निम्न ग्रेड अर्थात् 330-560 रु० के ऐसे पुस्तकालय अध्यक्षों का प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो (जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि या डिप्लोमा हो)। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से से अधिक नहीं होगी)। |
| शत प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के निम्न ग्रेड अर्थात् 260-430 रु० के ऐसे नक्शानवीसों का प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो (जिनके पास नक्शानवीसी का डिप्लोमा हो)। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। |

[सं० 9(7)/74 ई०पी०ओ०एल०]

के० के० घोष, अवर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 28th June, 1976

**G.S.R. 1191.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Director General of Commercial Intelligence and Statistics (Class III posts) Recruitment Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Director General of Commercial Intelligence and Statistics (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Office of the Director General of Commercial Intelligence and Statistics (Class III posts) Recruitment Rules, 1961, for the posts of 'Librarian grade II' and 'Draftsman' and the entries relating thereto the following shall respectively be substituted, namely :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Librarian Grade II | Two | General Central Service Class III (Non-gazetted) Non-ministerial. | Rs. 425-15-500-EB-18-560-20-700 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| Draftsman | One | General Central Service Class III (Non-gazetted) Non-ministerial. | Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% by transfer on deputation | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Transfer on deputation from Librarian of lower grade that is to say Rs. 330-560 from Central Government a Offices having 5 years' service in the grade (with degree or diploma in Library Science of a recognised University or Institution).<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). |
| 100% by transfer on deputation | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Transfer on deputation from Draftsman of lower grade that is to say Rs. 260-430 from Central Government Offices, having 5 years' regular service in the grade (with diploma in draftsmanship).<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). |

[No. 9(7)/74 EPOL]

K. K. GHOSH, Under Secy.

(निर्यात उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1976

(काफी नियंत्रण)

**सा०का०नि० 1192.**—काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार काफी नियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को काफी (संशोधन) नियम, 1976 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. काफी नियम, 1955 के नियम 31 में "950 रु० प्रति माह" के स्थान पर जहां कहीं भी यह आए, "1300 रु० प्रति माह" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फ़ा० सं०. 9(9)/76-प्लांट(बी)]

एस० महादेव अय्यर, अवर सचिव

**(Department of Export Production)**

New Delhi, the 26th July, 1976

(COFFEE CONTROL)

**G.S.R. 1192.**—In exercise of the Powers conferred by section 48 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Rules, 1955, namely :—

1. (1) These rules may be called the Coffee (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Rule 31 of the Coffee Rules, 1955, for the expression "Rs. 950 per mensem" wherever it occurs, the expression "Rs. 1300 per mensem" shall be substituted.

[File No. 9(9)/76-Plant(B)]

S. MAHADEVA IYER, Under Secy.

## उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

**(औद्योगिक विकास विभाग)**

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1976

**सा० का० नि० 1193.**—केन्द्रीय सरकार भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 17 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम विभाग की अधिसूचना सं० ई-1268(1), तारीख 9 जनवरी, 1939 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, पैरा 2 में, आरम्भिक भाग में "वायु" शब्द के पश्चात् "या आक्सीजन" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा० सं० 2/8/75-कैम./एम आई]

एम० सुब्रमण्यन, अवर सचिव

**MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES**

**(Department of Industrial Development)**

New Delhi, the 28th July, 1976

**G.S.R. 1193.**—In exercise of the powers conferred by sections 17 and 6 of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Department of Labour No. M-1268(1), dated the 9th January, 1939, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, in paragraph 2, in the opening portion, after the words "with air", the words "or oxygen" shall be inserted.

[F. No. 2/8/75-Chem./MI]

M. SUBRAMANYAN, Under Secy.

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1976

**सा० का० नि० 1194.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में समूह 'क' वैज्ञानिक पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'क' वैज्ञानिक पद) भर्ती नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ज्येष्ठ विशेषता (औद्योगिक बहिस्त्राव) और मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (मानव बस्तियां) पदों के भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ज्येष्ठ विशेषक (औद्योगिक बहिस्त्राव) | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित | 1500-60-1800-100-2000 रु० | लागू नहीं होता | 45 से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)* | आवश्यक :<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन इन्जीनियरिंग या लोकस्वास्थ्य इन्जीनियरिंग में मास्टर की उपाधि या समतुल्य ।<br>(ii) किसी उद्योग या अनुसंधान संस्था में अनुसंधान डिजाइन और विकास में आठ वर्ष का अनुभव । (अभ्यर्थी के अन्यथा सुअर्हित होने की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिलनीय, विशेषतः अनुभव सम्बन्धी अर्हता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में शिथिलनीय)<br>वांछनीय :<br>(i) औद्योगिक बहिस्त्राव के उपयोग पर्यावरण दूषण नियंत्रण/औद्योगिक अपशिष्ट के उपयोग का अनुभव ।<br>(ii) औद्योगिक दूषण नियंत्रण परियोजना के प्रौद्योगिक आर्थिक विश्लेषण का अनुभव या दूषण नियंत्रण पद्धति योजना बनाने का अनुभव । |

*टिप्पण:—आयुसीमा-अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में के (अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप से भिन्न) अभ्यर्थियों से आवेदन की प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी ।

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा/की जाएगी/किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर हस्तान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) द्वारा चयन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जाता है । | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) :<br>केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विकास संगठनों के अधीन सवृण पद धारण करने वाले या 1100-1600 के या समतुल्य वेतनमान के पदों पर कम से कम पांच वर्ष सेवा करने वाले अधिकारी जिसके पास सीधी भर्ती के लिए स्तम्भ 7 के अधीन विहित अर्हताएं हों ।<br>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अनधिक होगी । | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958, स्तम्भ 10 के अधीन उपबन्ध के साथ पठित के अधीन यथा अपेक्षित । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (मानव बस्तियां) | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित | 1500-60-1800-100-2000 रु० | लागू नहीं होता | 15 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) * | आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्थापत्य/नगर और ग्राम योजना में उपाधि या समतुल्य । (ii) 8 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या अनुसंधान (डिजाइन) और विकास, स्थापत्य/नगर ग्रामीण योजना का अनुभव । (अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं विशिष्टतः अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव समबन्धी अर्हता शिथिल की जा सकती है) वांछनीय : (1) ऊपर निर्दिष्ट विषयों में से किसी में डाक्टरेट की उपाधि । |

*टिप्पण :—आयुसीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में के (अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप से भिन्न) अभ्यर्थियों से आवेदन की प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी ।

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) द्वारा चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाए । | प्रतिनियुक्ति (इसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास संगठनों में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 1100-1600 रु० के पुनरीक्षित वेतनमान या समतुल्य वेतनमान के पदों पर कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए स्तम्भ 7 के अधीन विहित की गई अर्हताएं हों । टिप्पण :—प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अनधिक होगी । | लागू नहीं होता । | स्तम्भ 10 के अधीन उपबन्धों के साथ पठित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 में यथा अपेक्षित । |

[फा० सं० ए०/2018/13/75-प्रशा०-1]

एस० एल० मेहदीरत्ता, अवर सचिव

## DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 23rd July, 1976

**G.S.R. 1194.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group A Scientific Posts in the Department of Science and Technology, namely:—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Department of Science and Technology (Group 'A' Scientific Posts) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application:—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay:—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications:—The method of recruitment, age limit qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification,—

No. person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the posts mentioned in the said Schedule:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax:—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respct to any class or category of persons or posts.

7. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the posts of (i) Senior Specialist (Industrial Effluents) and (ii) Principal Scientific Officer (Human Settlements) in the Department of Science and Technology

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Senior Specialist (Industrial Effluents) | 1 | General Central Service, Group A, Gazetted. | Rs. 1500-60-1800-100-2000 | Not applicable | Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants). NOTE:—The crucial for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (Other than those in Andaman and Nicober Islands and Lakshadweep). | Essential :<br>I (i) Master's Degree in Chemical Engineering or Public Health Engineering from a recognised University or equivalent.<br>(ii) 8 year's experience in research, design and development in an industry or research institutions.<br>(Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified; in particular the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes).<br><br>Desirable :<br>(i) Experience in treatment of Industrial effluents/air pollution control/industrial waste utilisation.<br>(ii) Experience in Techno-Economic analysis of industrial pollution control projects or experience in pollution control systems planning. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | Direct recruitment, failing which by transfer on deputation (including short-term contract), selection to be made in consultation with the Union Public Service Commission. | Transfer on deputation (including short-term contract): Officers holding analogous posts or with atleast 5 years' service in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent under the Central/State Governments/Universities/Recognised Research and Development Organisations and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7.<br>NOTE:—The period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 4 years. | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, read with the provision under column 10. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Principal Scientific Officer (Human Settlements) | 1 | General Central Service, Group 'A' Gazetted. | Rs. 1500-60-1800-100-2000. | Not applicable | Not exceeding 45 years (Relaxable for Government servants).<br>NOTE :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). | Essential :<br>(i) Master's Degree in Architecture/Town and Country Planning from a recognised University or equivalent.<br>(ii) 8 years' practical experience or experience in Research, Design and Development, Architecture/ Town and Country Planning.<br>(Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified; in particular the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes).<br>Desirable :<br>(i) Doctorate Degree in any of the subjects referred to above. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | 2 years | Direct recruitment, failing which, by transfer on deputation (including short-term contract), selection to be made in consultation with the Union Public Service Commission. | Transfer on Deputation (including short-term contract): Officers holding analogous posts or with atleast 5 years' service in posts in the revised scale of pay of Rs. 1100-1600 or equivalent under the Central/State Governments/Universities/Recognised Research and Development Organisations and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7.<br>NOTE : The period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 4 years. | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, read with the provision under column 10. |

[F. No. A-12018/13/75-Admn-I]

S. L. MEHNDIRATTA, Under Secy.

(प्रकृति विज्ञान संग्रहालय)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1976

**सा०का०नि० 1115.**--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रकृति विज्ञान संग्रहालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का नाम प्रकृति विज्ञान संग्रहालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रकृति विज्ञान संग्रहालय, विज्ञान और प्रौद्योगिगी विभाग, (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1975 में,--

(1) "वर्ग 3 पद" शब्दों और अंक के स्थान पर, जहां कहीं वे आए हैं,"समूह ग पद" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे.

(2) अनुसूची में, तकनीकी सहायक के पद से सम्बन्धित मद 4 के सामने स्तम्भ 12 में आने वाले '5 वर्ष' शब्द और अंक के स्थान पर '3 वर्ष' शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[सं० 28-20/75-एन एच एम]

महताब सिंह, उप-सचिव

**(Natural History Museum)**

New Delhi, the 29th July, 1976

**G.S.R. 1195.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Natural History Museum, Department of Science and Technology (Class III Posts) Recruitment Rules 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called Natural History Museum, Department of Science and Technology (Class III Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Natural History Museum, Department of Science and Technology (Class III Posts( Recruitment Rules, 1975,—

(1) For the words and figure "Class III Posts" wherever they occur, the words and letter "Grade C Posts" shall be substituted;

(2) In the schedule, against item 4 relating to the post of Technical Assistant, the word and figure '5 Years' appearing in column 12 shall be substituted with the word and figure '3 years'.

[No. 28-20/75-NHM]

MAHTAB SINGH, Dy. Secy.

## स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1976

**सा० का० नि० 1196.**--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बी०सी०जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी में समूह 'घ' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बी०सी०जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.--ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.--उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.--उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं.--वह व्यक्ति,--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया , या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार की लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.--जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश, द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.--इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| काष्ठकार | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय । | 210-4-250-द.रो.-5-270 रु० । | लागू नहीं होता | 18-30 वर्ष | आवश्यक :<br>1. किसी सरकारी संस्था या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा दिया गया काष्ठकारी का प्रमाणपत्र, साथ ही किसी अनुमोदित कर्मशाला संगठन में काष्ठकारी का दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।<br>या<br>2. किसी अनुमोदित कर्मशाला या संगठन में काष्ठकारी का कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। |
| प्रयोगशाला परिचारक | 17 | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय । | 210-4-250-द.रो.-5-270 रु० | अचयन | 18–25 वर्ष | मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता, साथ ही प्रयोगशाला कार्य का एक वर्ष का अनुभव। |
| प्रयोगशाला अपरासी | 23 | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय । | 196-3-220-द.रो.-3-232 रु० । | लागू नहीं होता | 18–25 वर्ष | मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। |
| कार्यालय अपरासी | 3 | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय । | 196-3-220-द.रो 3-232 रु० । | लागू नहीं होता | 18–25 वर्ष | मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य। |
| माली | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय । | 196-3-220-द.रो. 3-232 रु० । | लागू नहीं होता | 18–30 वर्ष | बागवानी का कम से कम दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। |
| प्रहरी | 5 | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय । | 196-3-220-द.रो.-3-232 रु० । | लागू नहीं होता | 18–25 वर्ष | वांछनीय :<br>प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण। |
| लास्कर | 6 | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय । | 196-3-220-द.रो.-3-232 रु० । | लागू नहीं होता | 18–25 वर्ष | प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण। |
| खलासी (कर्मशाला) | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय । | 196-3-220-द.रो. 3-232 रु० । | लागू नहीं होता | 18-25 वर्ष | आवश्यक :<br>1. मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य।<br>2. किसी ख्यातिप्राप्त फर्म या सरकारी संस्था में विद्युत और यांत्रिक कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।<br>वांछनीय :<br>वातानुकूलन, प्रशीतन या बिजली मिस्त्री पाठ्यक्रम का सरकार से मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र। |

| क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना | वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, भर्ती रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों के लिए सीमित होगी। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| आयु—नहीं। शैक्षिक अर्हता—हां। | दो वर्ष | 90 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, 10 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; सीधी भर्ती रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों के लिए सीमित होगी। | प्रयोगशाला के ऐसे चपरासी जिनकी उस पद पर कम से कम एक वर्ष की सेवा हो। | समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति : (1) निदेशक (2) बी० सी० जी० प्रयोगशाला के दो उपसहायक निदेशक और (3) तमिलनाडु सरकार के किंग संस्थान मद्रास के सहायक निदेशक। | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | शतप्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, दूसरी दशा में भर्ती रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों के लिए सीमित होगी। | बी० सी० जी० टीका प्रयोगशाला के उन अर्हित कर्मचारियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो समूह नियमित आधार पर समूह 'ध' के अन्य पदों पर 196-3-220 द.रो.-232रु० के वेतनमान में समूह 'ध' के अन्य पदों पर कार्य कर रहे हों और जिनके पास स्तंभ 8 में वर्णित शैक्षिक अर्हताएं हों। | समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (1) निदेशक (2) बी०सी०जी० प्रयोगशाला के उपसहायक निदेशक, और (3) किंग संस्थान मद्रास, तमिलनाडु सरकार के निदेशक। | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा/भर्ती रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों के लिए सीमित रहेगी। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा/भर्ती रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों के लिए सीमित होगी। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। भर्ती रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों के लिए सीमित होगी। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। भर्ती रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों तक ही सीमित रहेगी। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। भर्ती रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों के लिए सीमित होगी। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[सं० टी० 23014/1/75-एम० पी० टी० (पी०एच०)]

विवेक कुमार अग्निहोत्री, अवर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

**(Department of Health)**

New Delhi, the 30th July, 1976

**G.S.R. 1196.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'D' posts at the B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the BCG Vaccine Laboratory, Guindy (Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, Classification and Scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other Qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Carpenter | 1 | General Central Services Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 210-4-250-EB-5-270. | Not applicable | 18—30 years | Essential : (i) A Certificate in carpentry issued by a Government Institution or a Gotvernment recognised Institution with two years practical experience in carpentry in an approved Workshop or organisation. OR (ii) Practical experience in carpentry of not less than 5 years in an approved Workshop or organisation. |
| Laboratory Attendant | 17 | General Central Services Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 210-4-250-EB-5-270. | Non-selection | 18—25 years | Middle School Standard Pass or equilvalent qualification with one year experience in Laboratory work. |
| Laboratory Peon | 23 | General Central Services Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 196-3-220-EB-3-232. | Not applicable | 18—25 years | Middle School Standard Pass or equivalent. |
| Office Peon | 3 | General Central Services Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 196-3-220-EB-3-232. | Not applicable | 18—25 years | Middle School Standard Pass or equivalent. |
| Gardener | 1 | General Central Services Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 196-3-220-EB-3-232. | Not applicable | 18—30 years | Practical experience in gardening for at least two years. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Two years | 100% by direct recruitment. Recruitment confined to candidates registered with employment exchange. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| Age : No. Educational Qualifications : Yes. | Two years | 90% by Promotion. 10% by Direct recruitment. Direct recruitment confined to candidates registered with employment exchange. | Laboratory Peons, possessing not less than one year's service in the post. | Group 'D' Departmental Promotion Committee. (i) Director. (ii) Two Deputy Assistant Directors of B.C.G. Laboratory. (iii) Assistant Director of King Institute, Madras, Government of Tamil Nadu. | Not applicable |
| Not applicable | Two years | 100% by transfer failing which by Direct Recruitment. In the case of latter, recruitment confined to candidates registered with the Employment Exchange. | Transfer of qualified staff of the B.C.G. Vaccine Laboratory working in other Group 'D' posts in the scale of Rs. 196-3-220-EB-3-232 on regular basis with educational qualification mentioned in column 8. | Group 'D' Departmental Promotion Committee. (i) Director, (ii) Deputy Assistant Directors of BCG Laboratory. (iii) Assistant Director of King Institute, Madras, Government of Tamil Nadu. | Not applicable |
| Not applicable | Two years | 100% by Direct Recruitment. Recruitment confined to candidates registered with Employment Exchange. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| Not applicable | Two years | 100% by Direct Recruitment. Recruitment confined to candidates registered with Employment Exchange. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watchman | 5 | General Central Services Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 196-3-220-EB-3-232. | Not applicable | 18—25 years | Desirable : Primary School Passed. |
| Sweeper | 6 | General Central Services Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 196-3-220-EB-3-232. | Not applicable | 18—25 years | Desirable : Primary School Passed. |
| Khalasi (Workshop) | 1 | General Central Services Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 196-3-220-EB-3-232. | Not applicable | 18—25 years. | Essential : (1) Middle School Standard Pass or its equivalent. (2) One year's experience in Electrical and Mechanical work in a reputed firm or Government Institution. Desirable : Certificate recognised by Government in Air-conditioning/Refrigeration or Electrician'scourse. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Two years | 100% by Direct Recruitment. Recruitment confined to candidates registered with Employment exchange. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| Not applicable | Two years | 100% by Direct Recruitment. Recruitment confined to candidates registered with Employment Exchange. | Not applicable | Not applicable | Not applicable. |
| Not applicable | Two years | 100% by Direct Recruitment. Recruitment confined to candidates registered with Employment Exchange. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

[No. T. 23014//1/75-MPT (PH)]
V. K. AGNIHOTRI, Under Secy.

## कृषि और सिंचाई मंत्रालय

### (ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 जून, 1976

**सा० का० नि०** 1197.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (लघु सिंचाई) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (पशु धन) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रामीण विकास विभाग, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (लघु सिंचाई) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (पशु धन) भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान--उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि--उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं--वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति--जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति--इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (लघु सिंचाई) के पद के लिए भर्ती नियम कृषि और सिंचाई मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (लघु सिंचाई) | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय | 550-25-750-द० रो०-30-900 रु० | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)। टिप्पण—आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्डमान और निकोबार द्वीप-समूह और लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। | आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य साथ ही सिंचाई में 2 वर्ष का अनुभव।<br>या<br>किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सिविल इन्जीनियरी में डिप्लोमा साथ ही सिंचाई में 6 वर्ष का अनुभव (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी, विशेष रूप से अनुभव सम्बन्धी अर्हता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में, उनके लिए आरक्षित पदों के लिए शिथिल की जा सकेंगी)। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा/की जाएगी/किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 425—700 रु० के वेतनमान में 3 वर्ष सेवा की हो और जिनके पास स्तम्भ 7 के नीचे सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हों।<br>टिप्पण—प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | लागू नहीं होता | यदि नियुक्ति के लिए किसी राज्य सरकार के अधिकारी का चयन हो सकता है तो संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित। |

अनुसूची

ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (पशु धन) के पद के लिए भर्ती नियम

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (पशु धन) | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय | 550-25-750-द० रो०-30-900 रु० | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)। टिप्पण—आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। | आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन या पशु-चिकित्सा विज्ञान में उपाधि या समतुल्य। (ii) पशुधन विकास कार्य का 2 वर्ष का अनुभव। (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी। विशेष रूप से अनुभव सम्बन्धी अर्हता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उनके लिए आरक्षित पदों के लिए, शिथिल की जा सकती हैं)। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाता है, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/कृषि विश्वविद्यालयों में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी और जिनके पास स्तम्भ 7 में की अर्हताएं हों। टिप्पण—प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | लागू नहीं होता | स्तम्भ 10 के नीचे के उपबन्धों के साथ पठित, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट), विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित। |

[फा० सं० ए-12011/54/75-प्रशा० (आर०डी०)]

डी० सिंह, अवर सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

**(Department of Rural Development)**

New Delhi, the 23rd June, 1976

**G.S.R. 1197.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technical Assistant (Minor Irrigation) and Senior Technical Assistant (Livestock) in the Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Rural Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Rural Development, Senior Technical Assistant (Minor Irrigation) and Senior Technical Assistant (Livestock) Recruitment Rules, 1976.

(2) They thall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification, and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in the columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limits, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—

No persons—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, now alive shall be eligible for appointment to any of the said posts ;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

5. Power to relax.—

*Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in* writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. Savings.—

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment rules for the post of Senior Technical Assistant (Minor Irrigation)

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Senior Technical Assistant (Minor Irrigation) | 1 | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministrial | Rs. 550-25-750-EB-30-900. | Not applicable | Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants)<br><br>Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). | Essential :<br>Degree in Civil Engineering from recognised University or equivalent, with 2 years' experience in Irrigation.<br><br>OR<br><br>Diploma in Civil Engineering from a recognised Institution, with 6 years, experience in Irrigation.<br>(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified ; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidate belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them). |

| Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | By transfer on deputation, failing which, by direct recruitment | Transfer on deputation :<br>Officers holding analogous posts or with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 425-700 under the Central/ State Governments and possessing the qualifications prescribed for direct recruitment under column 7.<br>Note : The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years. | Not applicable | If an officer of a State Government is selected for appointment, as required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958. |

SCHEDULE

Recruitment rules for the post of Senior Technical Assistant (Livestock)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior Technical Assistant (Livestock) | 1 | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 550-25-750-EB-30-900. | Not applicable | Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants).<br><br>Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India(other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). | Essential :<br>(i) Degree in Animal Husbandry or Veterinary Science from a recognised University or equivalent.<br>(ii) 2 years' experience of Livestock Development work.<br>(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified ; in particular,the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them). |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | 2 years. | By transfer on deputation (including short-term contract) selection being made in consultation with the Union Public Service Commission, failing which, by direct recruitment. | Transfer on deputation (including short-term contract). Officers holding analogous posts in Central/State Governments/ Agricultural Universities and possessing qualifications in column 7. Note : The period of deputation/contract ordinarily not exceed 3 years. | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations, 1958, read with the provison under column 10. |

[File No. A-12011/54/75-Estt. (RD)]
D. SINGH, Under Secy.

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1976

**सा० का० नि० 1198.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) में नक्शानवीस (समूह ग) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग (नक्शानवीस) भर्ती नियम, 1976 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| नक्शानवीस | एक | समूह 'ग' (अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय) | 260-8-300-द०रो०-8-340-10-380-द०रो०-10-430 रु० | लागू नहीं होता | 25 वर्ष से अनधिक | आवश्यक : (i) मैट्रिक या उसके समतुल्य (ii) किसी मान्यताप्राप्त पोलिटेकनिक संस्था से नक्शानवीसी में दो वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम। वांछनीय : ड्रेसर के रूप में कुछ पूर्व अनुभव |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगा या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा/की जाएगी/किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[सं० 39/14/65-ई-II]
आर०आर० भाटिया, अवर सचिव

**(DEPARTMENT OF FOOD)**

New Delhi, the 28th July, 1976

**G.S.R.1198.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Draftsman (Group 'C') in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of food), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Food (Draftsman) Recruitment Rules, 1976.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—

   The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of Schedule aforesaid.

4. Disqualification .—No Person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post :

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .—Nothing in these ruels shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | No. of post | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualification for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Draftsman | one | Group 'C' (Non-gazetted-Non-Ministerial) | Rs. 260-8-300-EB-8-340-10-380-EB-10-430. | Not applicable | Not exceeding 25 years | Essential :<br>(i) Matriculation or its equivalent.<br>(ii) A two years Diploma course in draftsmanship from any recognised Polytechnic institution.<br>Desirable :<br>Some previous experience as a tracer. |

| Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion transfer, grades from which promotion to be made. | If a DPC exists what is its composition. | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | 100% by direct recruitment | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

No. 39/14/65-E.II]

R.R. BHATIA, Under Secy.

## समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1976

**सा० का० नि०** 1199.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाज कल्याण विभाग में लेखाकार के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम समाज कल्याण विभाग (लेखाकार) भर्ती नियम, 1976 होगा ।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान .—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, तथा अर्हताएं आदि :—पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उस के लिये जो कारण हैं, उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात उन आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

समाज कल्याण विभाग (पोषाहार प्रभाग) में लेखाकारों के पद के लिये भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु-सीमा | भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| लेखाकार | 2 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-2 अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय | 500-20-700-ई० रो०-25-900 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

| क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति की दशा में भी लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि हो | भर्ती की पद्धति सीधी होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जायेगा | विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं | लागू नहीं | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : किसी संगठित लेखा विभाग जैसे भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग या भारतीय रक्षा लेखा विभाग या भारतीय रेलवे लेखा विभाग या डाक एवं तार लेखा विभाग से इसी ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की सेवा के साथ अधीनस्थ लेखा सेवा लेखाकार के वर्ग के अधिकारी<br>या<br>केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक जिनकी इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण प्रबन्ध संस्थान से रोजड और लेखा की परीक्षा पास की हुई हो और जिनका लेखा, बजट और सहायक अनुदान के काम का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं) | लागू नहीं | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है। |

[सं० 2/2/73-एन एस/स्था०]

आर० के० साहा, अवर सचिव

## DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 20th July, 1976

**G.S.R.1199**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constituion, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Accountant in the Department of Social Welfare, namely:—

1. Short title and Commencement:—(1) These rules may be called the Department of Social Welfare (Accountant) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay:—The number of the posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications:—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Recruitment rules for the post of Accountants in the Department of Social Welfare (Nutrition Division)

| Name of post | No. of post | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Accountant | 2 | General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 500-20-700-EB-25-900 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation or transfer, grades from which promotion or deputation/transfer to be made | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Not applicable | By Transfer on Deputation | Transfer on deputation:<br>Officers of the rank of Subordinate Accounts Service Accountant with at least 3 years service in the grade from any of the Organised Accounts Departments, namely, Indian Audit and Accounts Department or Indian Defence Accounts Department or Indian Railway Accounts Department or Posts and Telegraphs Accounts Department.<br>OR<br>Assistants of the Central Secretariat Service with at least 5 years service in the grade who have passed the Cash and Accounts Examination of the Institute of Secretariat Training and Management and have at least 3 years experience of accounts, budgetary and grant-in-aid work.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. 2/2/73-NS/Estt.]

R.K. SAHA, Under Secy.

## नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1976

**सा०का०नि० 1200.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकास सलाहकार के संगठन (वर्ग 1 और वर्ग 2 इंजीनियरी पद) भर्ती नियम 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्

1. (1) इन नियमों का नाम विकास सलाहकार का संगठन (वर्ग 1 और वर्ग 2 इंजीनियरी पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विकास सलाहकार का संगठन (वर्ग 1 और वर्ग 2 इंजीनियरी पद) भर्ती नियम 1965 की अनुसूची में विकास सलाहकार के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,

(1) स्तम्भ 10 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसमें अल्पकालीन संविदा भी शामिल है), स्थानांतरण अथवा सीधी भर्ती, भर्ती की पद्धति हर बार आयोग के परामर्श से तय की जाएगी" ।

(2) स्तम्भ 11 में "(2) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" उपशीर्ष के लिए निम्नलिखित उपशीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण अथवा स्थानांतरण" ।

(3) स्तम्भ 13 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा" ।

[सं० ई एन एस (23)/76]

वि० वि० सुब्रह्मण्यम्, उप सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

**(Transport Wing)**

New Delhi, the 29th July, 1976

**G.S.R. 1200.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Development Adviser's Organisation (Class I and Class II Engineering Posts) Recruitment Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Development Adviser's Organisation (Class I and Class II Engineering Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Development Adviser's Organisation (Class I and Class II Engineering Posts) Recruitment Rules, 1965, against Serial No. 1 relating to the post of Development Adviser,

(i) in column 10, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Promotion, transfer on deputation (including short-term contract), transfer or direct recruitment, the exact method being settled in consultation with the Commission on each occasion.";

(ii) in column 11, for the sub-heading "(2) Transfer on Deputation", the following sub-heading shall be substituted, namely :—

"(2) **Transfer on Deputation or Transfer.**";

(iii) in column 13, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission."

[No. ENS(23)/76]

V. V. SUBRAHMANYAM, Dy. Secy.

## पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1976

**सा०का०नि० 1201.**—केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम वायुयान (तृतीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुयान नियम, 1937 के नियम 78-क के उपनियम (1) के परन्तुक में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ग) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(3) तीन वर्ष की आयु तक के बच्चे ।

[फा० सं० एवी 11012/7/76/ए/ए आर/ए एम (3)/76]

## MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 23rd July, 1976

**G.S.R. 1201.**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely :—

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Third Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the proviso to sub-rule (1) of rule 78-A of the Aircraft Rules, 1937, after clause (b), the following clause (c) shall be inserted namely :—

"(c) children upto the age of three years."

[F. No. Av. 11012/7/76/A/AR/AM(3)/76]

**सा० का० नि० 1202.**—केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम वायुयान (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये पहली सितम्बर, 1976 को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में,—

(i) उप-नियम (1) में,—

(1) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) "विमान" से शक्ति चालित और वायु से भारी वायुयान अभिप्रेत है उड़ान में जिसका उड़ान मुख्यतः धरातलों पर उन वायुगतिक प्रतिक्रियाओं से होता है जो उड़ान की दी गई दशाओं में स्थिर रहते हैं।

(2) खंड (7) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(7-क) "वायुयान घटक" से ऐसा भाग अभिप्रेत है जिसका, जबकि उसे वायुयान में फिट किया जाए, वायुयान के निरन्तर उड्डयन योग्यता

या सुरक्षा के लिये निरोध होना और सही रूप से कार्य करना आवश्यक है और इसमें उपस्कर की मद भी है"

(3) खंड (8) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(8) "वायुपोत" से शक्ति चालित और वायु से हल्का वायुयान अभिप्रेत है;"

(4) खंड (9) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(9-क) "वायु परिवहन उपक्रम" से ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जिसके कारबार में भाड़े या पारितोषिक के लिये यात्रियों या स्थौरा की वायु द्वारा वहन भी है;

(5) खंड 10 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(10-क) "अनुमोदित अनुरक्षण पद्धति" से ऐसी अनुरक्षण पद्धति अभिप्रेत है जिसे नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया हो;'

(6) खंड (11) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(11) "बैलून" से शक्ति से न चलने वाला और वायु से हल्का वायुयान अभिप्रेत है;'

(7) खंड (11) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(11-क) "उड्डयन योग्यता का प्रमाणपत्र" से ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन जारी किया गया हो';

(8) खंड 13 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(13-क) "कन्वेन्शन" से समय-समय पर यथा संशोधित अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित ऐसा कन्वेंशन अभिप्रेत है जिस पर 7 सितम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किए गए हैं;'

(9) खंड (21) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(21-क) "उड़ान नियम-पुस्तिका" उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र संबंधित नियम पुस्तिका अभिप्रेत है जिसमें वे सीमाएं हैं जिनके भीतर विमान को उड्डयन योग्य समझा जाएगा और जिसमें विमान के सुरक्षित प्रचालन के लिये उड़ान कर्मीदल के सदस्यों के लिये आवश्यकता अनुदेश और जानकारी है;'

(10) खंड (25) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(25-क) "विदेशी वायुयान" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जो भारत से भिन्न किसी देश में रजिस्ट्रीकृत हो;'

(11) खंड (26) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(26)"ग्लाईडर" से शक्ति से न चलने वाला और वायु से भारी ऐसा वायुयान अभिप्रेत है उड़ान में जिसका उठान मुख्यतः धरातलों पर उन वायुगतिक प्रतिक्रियाओं के कारण होता है जो दी गई दशाओं में स्थिर रहते हैं;'

(12) खंड (32) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(32-क) "उपस्कर की मद" से ऐसा स्वयंपूर्ण यूनिट अभिप्रेत है जो, किसी वायुयान में जोड़ने या लगाने पर उड्डयन योग्यता सम्बन्धी प्रचालन की कतिपय दशाओं के अधीन या वायुयान या उसके अधिभोगियों की सुरक्षा के लिये आवश्यक कार्य करता है;'

(13) खंड 33 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(33-क) "अनुज्ञप्ति" से इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;'

(14) खंड 57 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(57-क) "टाइप प्रमाणपत्र" से ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जिसे महानिदेशक द्वारा यह सूचित करने के लिए जारी किया गया है या विधिमान्य किया गया है कि वायुयान के टाइप का डिजाइन वायुयान घटक या उपस्कर की मद, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट या अनुमोदित लागू होने वाली मानक डिजाइन का अनुपालन करता है;'

(ii) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(2-क) इन नियमों के अधीन महानिदेशक को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य का प्रयोग किया निर्वहन महानिदेशक द्वारा या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा'।

3. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

'7. वायुयान में ले जाए जाने वाली दस्तावेजों:—

(1) कोई भी व्यक्ति, किसी वायुयान की उड़ान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस देश की, जिसमें वायुयान रजिस्ट्रीकृत है, विधि की अपेक्षा के अनुसार, विधिमान्य दस्तावेज उसके फलक पर नहीं ले जाई जाती हैं और ऐसे प्ररूप और रीति में जो उस देश द्वारा अधिकथित किए जाएं, नहीं रखी जाती हैं।

(2) भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई भी वायुयान, इन नियमों की अपेक्षा के अनुसार अपने फलक पर विधिमान्य दस्तावेजें ले जाएगा:

परन्तु जहां इन नियमों के अधीन नवीकरण या अन्य कार्यवाही के लिये सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत की गई है वहां यह वायुयान के फलक पर उसके न ले जाए जाने के लिये उस तथ्य को विधिमान्य कारण समझा जाएगा।'

4. उक्त नियमों के नियम 7 ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"7-ख वायुयान में काकपिट निरीक्षण सूचियों का ले जाया जाना— भारत में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक वायुयान, उस विशिष्ट टाइप के वायुयान के लिये महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट काकपिट निरीक्षण सूचियां और आपात निरीक्षण सूचियां अपने साथ ले जाएगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 15 में,—

(i) विद्यमान परन्तुक में 'परन्तु' शब्द के स्थान पर 'परन्तु यह और कि' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) इस प्रकार संशोधित परन्तुक से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'परन्तु परीक्षण के प्रयोजन के लिये उड्डयन योग्यता सम्बन्धी विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना, किसी वायुयान को, विमान-क्षेत्र के सामीप्य में या उसके प्रस्थान के स्थान के भीतर उड़ाया जा सकेगा।'

6. उक्त नियमों के नियम 17 में, 'प्रमाणपत्र' शब्द जहां कहीं भी वह आता है के पश्चात् 'प्राधिकार और अनुमोदन' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त नियमों के नियम 19 में,—

(1) पार्श्व शीर्षक में, 'और प्रमाणपत्र' शब्द के स्थान पर, 'प्रमाणपत्र प्राधिकार और अनुमोदन' शब्द रखे जाएंगे।

(2) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात्:--

'(2) केन्द्रीय सरकार किसी वायुयान की उड्डयन योग्यता या किसी वायुयान घटक के टाइप प्रमाणपत्र या उपस्कर की मद से संबंधित इन नियमों के अधीन अनुदत्त किसी प्रमाणपत्र को उस दशा में रद्द या निलम्बित कर सकेगी जब कि उसका यह समाधान हो जाता है कि

(क) वायुयान की सुरक्षा या वायुयान के टाइप के सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त शंका है, या

(ख) ऐसे वायुयान घटक या उपस्कर की मद की उड्डयन क्षमता के सम्बन्ध में, जिसकी बाबत टाइप प्रमाणपत्र विद्यमान है, कोई युक्तियुक्त शंका है और वह ऐसे प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में किसी शर्त में उस दशा में परिवर्तन कर सकेगी जब कि उसका यह समाधान हो जाता है कि इस सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त शंका विद्यमान है कि क्या इन शर्तों के कारण सुरक्षा की पर्याप्त गुंजाइश हो जाती है।'

(3) उप-नियम (3) में,-

(क) 'अनुज्ञप्ति' शब्द, जहां कहीं भी वह आता है, के पश्चात् 'प्राधिकार और अनुमोदन' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) टिप्पण का लोप किया जाएगा;

(4) उप-नियम (4) में 'प्रमाणपत्र' शब्द के पश्चात्, 'प्राधिकार और अनुमोदन' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(5) उप-नियम (5) में,

(क) 'प्रमाणपत्र' शब्द के पश्चात् 'प्राधिकार और अनुमोदन' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) अन्त में, निम्नलिखित 'टिप्पण' अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'टिप्पण' केन्द्रीय सरकार का इस बारे में विनिश्चय अन्तिम और आबद्धकर होगा कि क्या पूर्वगामी उप-नियम के अधीन लोकहित में किसी प्रमाणपत्र, वर-निर्धारण अनुज्ञप्ति, प्राधिकार या अनुमोदन के निलम्बन के लिये कोई पर्याप्त आधार है।'

8. उक्त नियमों के नियम 25 में,-

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

'भारत में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक वायुयान का समादेशन करने वाला स्वामी या प्रचालक और पायलट, वायुयान में खास स्थान (स्थानों) पर सूचना (सूचनाएं) यह बतलाते हुए संप्रदर्शित करेगा या करवाएगा कि वहां और किस सीमा तक उसमें धूमपान करना प्रतिषिद्ध या अनुज्ञात है;'

(ख) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

'(3) कोई भी व्यक्ति--

(क) वायुयान के किसी भी भाग में या उसके सामीप्य में, जिसमें यह उपवर्णित करने वाली सूचना प्रदर्शित की गई है कि धूम्रपान करना प्रतिषिद्ध है, धूम्रपान नहीं करेगा,

(ख) उड्डयन, अवतरण या पुनः ईंधन भरने के दौरान या ऐसी अवधि के दौरान जिसमें अस्थाई रूप से यह उपवर्णित करने वाली सूचना प्रदर्शित की गई है कि धूम्रपान करना प्रतिषिद्ध है, किसी वायुयान में कहीं भी धूम्रपान नहीं करेगा।'

9. उक्त नियमों के नियम 30 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

'(1) भारत में वायुयान को रजिस्ट्रीकृत करने और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये सशक्त प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार होगी: रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विशिष्टियां भी होंगी, अर्थात्:--

'वायुयान का टाइप, निर्माता संख्या, राष्ट्रिकता और रजिस्ट्रीकरण चिह्न जो इस नियम के अधीन निर्दिष्ट हैं, स्वामी का पूरा नाम, राष्ट्रिकता, पता, वायुयान का प्राथिक केन्द्र और रजिस्ट्रीकरण की तारीख।'

10. उक्त नियमों के नियम 33 के खंड (ग) में 'केन्द्रीय सरकार' शब्दों, जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर 'महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियमों के नियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

'36. वायुयान रजिस्टर--महानिदेशक द्वारा, भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान का रजिस्टर रखा जाएगा और इसमें ऐसी विशिष्टियां भी होंगी जो नियम 30 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की बाबत उपबन्धित की गई हैं। ऐसा रजिस्टर जनता के सदस्यों द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किए जाने के लिये खुला रहेगा और वह ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।'

12. उक्त नियमों के नियम 37 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

'(2) राष्ट्रिकता और रजिस्ट्रीकरण चिह्नों को--

(क) वायुयान पर रंग से लिखा जाएगा या किसी अन्य साधन द्वारा उस पर चिपकाया जाएगा जिससे उनकी आकृति और रीति के सम्बन्ध में उसी प्रकार का स्थायित्व सुनिश्चित हो जाए जैसा कि समय-समय पर महा निदेशक द्वारा निर्दिष्ट किया गया।

(ख) स्वामी की नाम पट्टिका पर ऐसे प्ररूप और रीति में जो समय-समय पर महा निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, वायुयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी के पूरे नाम और पते सहित उत्कीर्णित किया जाएगा और

(ग) सदैव स्वच्छ और दृष्टिगोचर रखा जाएगा।'

13. उक्त नियमों के नियम 49 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

'49. भारत में डिजाइन किए गए या विनिर्मित वायुयान, वायुयान घटक और उपस्कर की मदों के लिये टाईप प्रमाणपत्र और टाईप प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना:--

(1) महानिदेशक साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि भारत में डिजाइन किए गए, विनिर्मित, विक्रीत या वितरित किसी वायुयान, वायुयान घटक, या उपस्कर की मदों की बाबत टाईप प्रमाणपत्र होगा जो ऐसे वायुयान जिसमें उस टाईप के वायुयान घटक या उपस्कर की मद फिट की गई है या लगाई गई है, की बाबत उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने, नवीकरण या निरन्तर विधिमान्यता के लिये पूर्वापेक्षा है।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी वायुयान, वायुयान घटक या उपस्कर की मदों की बाबत टाईप प्रमाणपत्र जारी करने के लिये आवेदन कर सकेगा।

(3) महा निदेशक उस दशा में टाईप प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा जब कि--

(क) आवेदक वायुयान, वायुयान घटक या उपस्कर की उपयुक्तता के सम्बन्ध में विमानन के उन प्रयोजनों के लिये जो विनिर्दिष्ट किए जाएं और जिसमें यदि आवश्यक हो ऐसे उड्डयन परीक्षण भी हैं, जैसे कि महा-निदेशक अपेक्षा करे, ऐसे दस्तावेज और अन्य साक्ष्य देता है। आवेदक

ऐसे निरीक्षण और परीक्षण जो किए जाएं, के लिये आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।

(ख) विमानन के प्रयोजनों के लिये उपयुक्तता के सम्बन्ध में महानिदेशक का समाधान हो जाता है ।'

14. उक्त नियमों के नियम 49 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'49-क भारत के आयातित किसी वायुयान, वायुयान घटक और उपस्कर की मदों की बाबत टाइप प्रमाणपत्र का जारी किया जाना:—

(1) महानिदेशक साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि भारत में आयातित किसी वायुयान, वायुयान घटकों या उपस्कर की मद की बाबत एक टाइप प्रमाणपत्र होगा।

(2) महानिदेशक, भारत में आयातित किसी वायुयान, वायुयान घटक या उपस्कर की मद की बाबत टाइप प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा' ।

49-ख भारत में आयातित वायुयान, वायुयान घटकों और उपस्कर की मदों के लिये टाइप प्रमाणपत्र का विधिमान्यकरण :—

महानिदेशक, किसी वायुयान, वायुयान घटक और उपस्कर की मद जो आयातित की जाए, की बाबत प्रमाणपत्र को विधिमान्य कर सकेगा :

परन्तु यह तब तक कि—

(क) उस देश में जिसमें उसे विनिर्मित किया गया है उड्डयन योग्यता प्राधिकरण ने, यथास्थिति, उस वायुयान, वायुयान घटक या उपस्कर की मद की बाबत उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र, टाइप प्रमाणपत्र या उसी प्रकार के अन्य दस्तावेज जारी किए हैं;

(ख) यह उड्डयन योग्यता की उन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है जो महानिदेशक द्वारा अधिकथित की जाएं, और

(ग) आवेदक विमानन के उन प्रयोजनों के लिये जो विनिर्दिष्ट किए जाएं और जिनकी महानिदेशक अपेक्षा करे, उत्पाद की उपयुक्तता की बाबत ऐसे दस्तावेज और तकनीकी आंकड़े देता है:

परन्तु यह और कि महानिदेशक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उस आदेश में कथित किए जाएं, किसी वायुयान, वायुयान घटक या उपस्कर की मद को इस नियम के उपबन्धों से छूट दे सकेगा।

49-ग. टाइप प्रमाणपत्र—वायुयान संवर्ग— जारी किये जाने या विधिमान्य किए जाने पर किसी वायुयान के टाईप प्रमाणपत्र को वायुयान के एक या अधिक ऐसे संवर्गों में समूहीकृत किया जा सकेगा जो विनिर्दिष्ट किए जाएं। वायुयान का प्रचालन उन व्यक्तियों तक सीमित होगा जो उसके लिये प्राधिकृत किए गए हैं।

49-घ. टाइप प्रमाणपत्र का रद्दकरण, निलम्बन या उस पर पृष्ठांकन:— यदि किसी भी समय महानिदेशक का समाधान हो जाता है कि यह उपदर्शित करने के लिए युक्तियुक्त शंका है कि वायुयान या उस वायुयान के घटक या उपस्कर की मद में त्रुटि के कारण वायुयान की सुरक्षा को खतरा है, तो वह, यथास्थिति, वायुयान, वायुयान घटक और उपस्कर की मद के लिए जारी किए गए या विधिमान्य किया गया टाइप प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा, निलम्बित कर सकेगा या उस पर पृष्ठांकन कर सकेगा या किसी परिवर्तन के समावेशन करने का टाइप प्रमाणपत्र की उस शर्त के रूप में अपेक्षा करेगा जो प्रवृत्त रहती है।

15. उक्त नियमों के नियम 50 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

'50. उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र:—किसी वायुयान का स्वामी या प्रचालक महानिदेशक को वायुयान की उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने या नवीकृत करने के लिये या उस वायुयान की बाबत अन्यत्र जारी किए गए उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र के विधिमान्यकरण के लिये आवेदन कर सकेगा।

(2) महानिदेशक, किसी वायुयान की बाबत उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र के उस समय जारी कर सकेगा या नवीकृत कर सकेगा जब कि—

(क) वायुयान की उड्डयन योग्यता के सम्बन्ध में आवेदक ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्य देता है जो विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसकी अपेक्षा महानिदेशक विशेष या साधारण आदेश द्वारा करे, और

(ख) महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि वह उड्डयन योग्यता है।

(3) महानिदेशक, ऐसे किसी वायुयान जो आयातित किया जाए, की बाबत उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र को विधिमान्य कर सकेगा :—

परन्तु यह तब जब कि—

(क) उस देश के जिसमें वायुयान को विनिर्मित किया गया है, उड्डयन योग्यता प्राधिकारी ने उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र या ऐसे समतुल्य दस्तावेज जारी किया है—

(ख) उन उड्डयन योग्यता अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है जो महानिदेशक द्वारा अधिकथित किए जाएं, और

(ग) आवेदक, वायुयान के सम्बन्ध में ऐसे आवश्यक दस्तावेज और तकनीकी आंकड़े देता है जो विनिर्दिष्ट किए जाएं और जिनकी महानिदेशक अपेक्षा करे।

(4) महानिदेशक, वायुयान के एक या अधिक संवर्गों में, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, नवीकृत कर सकेगा या विधिमान्य कर सकेगा । वायुयान का प्रचालन उन संवर्गों तक सीमित रहेगा जो उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र में प्राधिकृत किए गए हैं ।

(5) इन नियमों के अधीन रहते हुए, उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र ऐसी अवधि पर्यन्त जो प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रवृत्त रहेगा और उसे समय-समय पर महानिदेशक द्वारा नवीकृत किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक यह अपेक्षा कर सकेगा कि उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा वायुयान का निरीक्षण किया जाए या उड़ान के दौरान इसका परीक्षण किया जाए या इस प्रकार निरीक्षण या परीक्षण किया जाए और वायुयान का स्वामी या प्रचालक ऐसे निरीक्षण और परीक्षणों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देगा ।

16. उक्त नियमों के नियम 50 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'50-क, वायुयान की उड्डयन योग्यता और निरीक्षण, ओवरहाल के लिए आवश्यक शर्तें :—

महानिदेशक, वायुयान की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, वायुयान और वायुयान के फलक पर व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से किसी विनिर्दिष्ट टाइप या वर्ग के वायुयान की उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र की बाबत शर्तें और मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(2) यदि किसी समय महानिदेशक यह समझता है कि किसी वायुयान या वायुयान टाइप या किसी वायुयान घटक या उस वायुयान या वायुयान या वायुयान के टाइप के उपस्कर की मद में परिवर्तन किए जाने, मरम्मत, अदला-बदली की जाती, निरीक्षण या ओवरहाल करना सुरक्षा के हित में आवश्यक है, तो वह परिवर्तन, मरम्मत, अदला-बदली,

निरीक्षण ओवरहाल किए जाने की अपेक्षा उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र की उस शर्त के रूप में कर सकेगा जो कि प्रवृत्त रहती है।'

17. उक्त नियमों के नियम 51 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

'51. उड़ान नियम पुस्तिका--जहां इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी वायुयान के संबंध में कोई उड़ान नियम-पुस्तिका रखे जाने की अपेक्षा की जाती है, वहां महानिदेशक वायुयान की उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र पर तदनुकूल पृष्ठांकन कर सकेगा।'

18. उक्त नियमों के नियम 52 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

'52. परिवर्तन और मरम्मत :--(1) कोई भी व्यक्ति, ऐसे वायुयान जिसकी बाबत विधिमान्य उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र है, की सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कोई परिवर्तन या मरम्मत तब तक नहीं करेगा जब तक इन नियमों के अनुसार उससे अपेक्षा न की गई हो

या जब तक कि उसने महानिदेशक का पूर्वानुमोदन न अभिप्राप्त कर लिया गया हो ।

(2) (क) किसी वायुयान, वायुयान घटक या उस वायुयान के उपस्कर की मद में जिनको महानिदेशक द्वारा या अन्यत्र टाइप प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, विनिर्माता द्वारा किये गए परिवर्तनों को तब तक अनुमोदित परिवर्तन समझा जाएगा जब तक कि महानिदेशक द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं;

(ख) किसी वायुयान, वायुयान घटक या उस वायुयान के उपस्कर की मदों के जिन्हें महानिदेशक द्वारा या अन्यत्र टाइप प्रमाणपत्र जारी किया गया है, के विनिर्माता द्वारा जारी की गई मरम्मत स्कीमों को और अन्य मरम्मतों को जो मानक वैमानिक इंजीनियरी प्रथा के अनुसार की गई हों, तब तक अनुमोदित समझा जाएगा जब तक कि महानिदेशक द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए ।

(3) महानिदेशक किसी वायुयान, वायुयान घटक या उस वायुयान के उपस्कर की मद की ऐसी मरम्मत या परिवर्तन जो उप-नियम (2) में निर्दिष्ट मरम्मतों से भिन्न हैं, के लिए अनुमोदन उस समय दे सकेगा जब कि आशयित परिवर्तन या मरम्मत और महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट वायुयान की उड्डयन योग्यता पर उस के प्रभाव की बाबत स्वामी या प्रचालक ऐसा साक्ष्य देता है ।

(4) महानिदेशक द्वारा जो परिवर्तन किसी वायुयान, वायुयान घटक या उपस्कर की मद की बाबत अनुमोदित किया गया है उसे उसी टाइप के अन्य वायुयान, वायुयान घटक, उपस्कर मदों में किया जा सकेगा, परन्तु यह तब जब कि यह बात अनुमोदन के निबन्धनों के भीतर हो ।

(5) (क) जब कि बड़ी क्षति या बड़ी त्रुटि के पश्चात् किसी वायुयान में परिवर्तन किया जाता है या उसकी मरम्मत की जाती है, तो वायुयान की उड़ान तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि समुचित रूप से अनुज्ञप्त इंजीनियर या प्राधिकृत व्यक्ति ने महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रमाणित न किया हो कि वायुयान, यथास्थिति, प्रयोग या परीक्षण के प्रयोजन के लिए उड़ान करने के लिए ठीक दशा में है ।

(ख) जब कि किसी वायुयान घटक या उपस्कर की मद में परिवर्तन करना होता है या उसकी मरम्मत करनी होती, तो उसे तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसे समुचित रूप से अनुज्ञप्त इंजीनियर या ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जिसे महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए उस रूप में प्रमाणित न किया जाए ।

(6) प्रमाणपत्र के प्ररूप और वितरण की रीति और उपरोक्त उपनियमों में निर्दिष्ट उसकी प्रतियां और उनका परीक्षण इस प्रकार से किया जाएगा जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(7) पूर्ववर्ती उपनियमों के अनुसार प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि सामग्री, पुर्जे, पद्धति, ऐसे डिजाइनों, आरेखनों, विनिर्देशों या अनुदेशों का अनुपालन न किया जाए जो विनिर्माता द्वारा जारी किए जाएं या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट या अनुमोदित किए जाएं । पद्धति और कारीगरी मानक वैमानिक प्रथा के अनुसरण में या महानिदेशक द्वारा अनुमोदित रूप में होंगे ।

19. उक्त नियमों के नियम 53 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

'53. वायुयान की सामग्री, प्रक्रियाएं, भागों का उपभोग और सामयिक ओवरहाल :--ऐसे प्रत्येक वायुयान की बाबत् इन नियमों के अधीन यह अपेक्षा की गई है कि उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र दिया जाए और वायुयान घटक और ऐसे वायुयान की उपस्कर की मदों का सामयिक रूप से निरीक्षण किया जाएगा, ओवरहाल किया जाएगा और विहित उड़ान के समय या कलैण्डर समय के पूरा होने पर या अनुमोदित अनुरक्षण अनुसूची या अनुमोदित अनुरक्षण प्रणाली के अनुसार किसी अन्य अनुबंधित शर्त के आधार पर प्रमाणित किया जाएगा । ऐसा निरीक्षण और प्रमाणीकरण समुचित रूप से अनुज्ञप्त या इंजीनियर या ऐसे प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) उप नियम (1) के अनुसरण में दिए गए प्रमाणपत्र को तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि सामग्री, प्रक्रियाएं, पुर्जे, पद्धति, ऐसी डिजाइनों, आरेखनों, विनिर्देशों या अनुदेशों का अनुपालन न करे जो विनिर्माता द्वारा जारी किए जाएं या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट या अनुमोदित किए जाएं । पद्धति और कारीगरी मानक वैमानिक प्रथा के अनुसार या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले रूप में होंगी ।

(3) पूर्वगामी उपबन्धों के होते हुए भी, महानिदेशक, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, पूर्वगामी उपनियमों के प्रवर्तन से या तो पूर्णतया या भागतः ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, छूट दे सकेगा जो ऐसे आदेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

20. उक्त नियमों के नियम 53 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'53-क. सभी वायुयानों का विनिर्माण, भंडारकरण और वितरण :--वायुयान, वायुयान घटकों और उपस्कर की मदों या किसी वायुयान में प्रयुक्त या प्रयोग के लिए आशयित किसी अन्य सामग्री का, चाहे ऐसे वायुयान के लिए उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने, नवीकृत करने या विविधान्य करने की अपेक्षा की गई है या की जाती है या नहीं, विनिर्माण, भंडारकरण और वितरण इन नियमों के अधीन किया जाएगा और अनुमोदित संगठनों, अनुज्ञप्त इंजीनियरों या इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही प्रमाणित किया जाएगा । प्रमाणपत्र और उसकी प्रतियों के प्ररूप और रीति और वितरण और उनका परिरक्षण ऐसा होगा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।'

21. उक्त नियमों के नियम 54 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

'54. प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति :--इन नियमों के भाग 6, 6-ख और 8-क के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र पर, समुचित रूप से अनुज्ञप्त इंजीनियरों या, यथा स्थिति, अनुज्ञप्ति प्राधिकार या अनुमोदन के निबन्धनों और शर्तों के अधीन विनिर्माण, प्रक्रिया, परिवर्तन, मरम्मत,

बदली, ओवरहाल या अनुरक्षण जिससे प्रमाणपत्र का संबंध है, करने या उसका निरीक्षण करने के लिए अर्हित प्राधिकृत व्यक्तियों या इस निमित्त महानिदेशक द्वारा अनुमोदित संगठनों द्वारा प्राधिकृत अनुमोदित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या जब ये यथोचित रूप से लैस भारतीय वायुसेना स्थापन द्वारा किए गए हों, तब उसके भारसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे :

परन्तु वायुयान के एक या अधिक वर्गों में ऐसे कार्य को, यदि उन अनुमोदित प्रक्रियाओं, प्रथाओं और पद्धतियों के अनुसरण में उसे किया गया है जो कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, तो अनुमोदित संगठन अनुज्ञप्त इंजीनियरों या इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा, पर्यवेक्षण या उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी ।'

22. उक्त नियमों के नियम 55 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

'55. उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र का निलम्बन या रद्दकरण या उसकी निरन्तर विधिमान्यता :—

किसी वायुयान की उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र को उस दशा में निलम्बित समझा जाएगा जब कि :—

(क) वह वायुयान प्रचालन, अनुरक्षण, परिवर्तन, मरम्मत या अदला-बदली, ओवरहाल, प्रक्रिया या निरीक्षण जो उस वायुयान को लागू हो, की बाबत् इन नियमों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं रह जाता है या अनुरूप होने में असफल रहता है, या

(ख) वायुयान में ऐसा परिवर्तन किया जाता है या ऐसी मरम्मत की जाती है जो कि इन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण से भिन्न रूप में है,

(ग) वायुयान को बड़ी क्षति होती है, या

(घ) वायुयान में बड़ी त्रुटि पैदा हो जाती है जिससे पश्चात्वर्ती उड़ानों के दौरान वायुयान या उसके अधिभोगियों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है ।

(2) यदि महानिदेशक का किसी समय समाधान हो जाता है कि वायुयान की सुरक्षा या उस टाइप की जिसका वह वायुयान है, सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त संदेह विद्यमान हो, तो वह—

(क) उस वायुयान की बाबत् उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र निलम्बित या रद्द कर सकेगा ; या

(ख) वायुयान या वायुयान घटक या उस वायुयान के उपस्कर के मद की बाबत यह अपेक्षा कर सकेगा कि प्रवृत्त रहने वाले उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र की शर्त के रूप में ऐसा परिवर्तन, मरम्मत, अदला-बदली, ओवरहाल, निरीक्षण किया जाए जिसमें ऐसे किसी अनुमोदित व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किए गए उड़ान परीक्षण और परीक्षा भी है जिसे महानिदेशक विनिर्दिष्ट करे ।

(3) उपनियम (4) के अधीन रहते हुए किसी वायुयान की उड़ान किसी ऐसी अवधि के दौरान जिसके लिए उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र निलम्बित किया गया है या निलम्बित किया गया समझा गया है, नहीं की जाएगी ।

(4) जहां किसी वायुयान की उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र निलम्बित किया गया है या निलम्बित किया गया समझा गया है, वहां महानिदेशक, वायुयान के स्वामी या प्रचालक द्वारा किए गए आवेदन पर और ऐसी अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए जो वायुयान और उसमें के व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,—

(क) किसी वायुयान का फलक पर यात्रियों के बिना किसी स्थान को पहली उड़ान करने की अनुज्ञा उस दशा में दे सकेगा, जब कि उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र के निलम्बन को हटाने के लिए अपेक्षित अनुरक्षण नियमों के अनुसरण में किया जा सकता है ।

(ख) प्रयोग या परीक्षणों के प्रयोजन के लिए उड़ान प्राधिकृत कर सकेगा;

(ग) जहां व्यक्तियों या वायुयान की सुरक्षा या सहायता अन्तर्वलित हो वहां उड़ान प्राधिकृत कर सकेगा ।

(5) महानिदेशक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी वायुयान को इस नियम के किसी उपबंध के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।'

23. उक्त नियमों के नियम 56 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

'56. भारत के बाहर चलने वाला भारतीय वायुयान—जहां भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई वायुयान भारत के बाहर किसी देश में चल रहा हो, वहां वायुयान या उसका कोई घटक या उपस्कर की मदों में परिवर्तन, मरम्मत, अदला-बदली, निरीक्षण या ओवरहाल निम्नलिखित द्वारा पर्यवेक्षण या प्रमाणित करने के सिवाय नहीं किया जाएगा—

(क) संविदाकारी राज्य की दशा में, ऐसा व्यक्ति, जिसे संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकारी द्वारा कन्वेन्शन के अनुसरण में अपनाए गए और इस प्रयोजन के लिए महानिदेशक द्वारा पर्याप्त माने गए न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया गया हो ।

(ख) संविदाकारी राज्य से भिन्न किसी देश की दशा में, ऐसा व्यक्ति, जिसके पास ऐसी अर्हताएं हों जिन्हें महानिदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त माना गया है ।'

24. उक्त नियमों के नियम 57 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

'57. उपकरण और उपस्कर :—प्रत्येक वायुयान को रेडियो साधित्र और विशेष उपस्कर सहित जो उपयोग के अनुसार और उन परिस्थितियों के अधीन जिसमें उड़ान की जाती है, विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपकरण और उपस्कर फिट और लैस किए जाएंगे ।

(2) ऐसे उपकरण और उपस्कर अनुमोदित टाइप के होंगे और उन्हें अनुमोदित रीति से लगाया जाएगा और उसे सेव्य दशा में अनुरक्षित किया जाएगा ।

25. उप नियमों के नियम 58 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

'58. भार और अतिशेष—(1) प्रत्येक वायुयान का भार लिया जाएगा और उसे समुचित रूप से चिह्नित किया जाएगा और उसका गुरुत्व केन्द्र अवधारित किया जाएगा । अपेक्षित विन्यास (विन्यासों) के संबंध में, गुरुत्व केन्द्र परिकलित स्थितियां उपदर्शित करने वाली भार अनुसूची और परिमाण शीट ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी अवयान के फलक पर सम्प्रदर्शित की जाएंगी या उसमें रहने की जाएंगी ।

(2)(क) कोई वायुयान उस अधिकतम अनुज्ञेय भार जो उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट हो या जो महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत हो, से अधिक भार सहित उड़ान या अवतरण करने का प्रयास नहीं करेगा ।

(ख) उड़ान और अवतरण सहित किसी उड़ान के दौरान किसी वायुयान के भार को इस प्रकार वितरित किया जाएगा कि वायुयान की गुरुत्व केन्द्र की स्थिति उन सीमाओं के भीतर आती है जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट या अनुमोदित हों :

परन्तु महानिदेशक, लिखित विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं किसी वायुयान को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।'

26. उक्त नियमों के नियम 59 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

'59. दोष और दोषपूर्ण भाग—

(1) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान के बड़े दोष या बड़ी क्षति की बाबत् महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में रिपोर्ट की जाएगी ।

(2) जब किसी वायुयान के किसी भाग को दोषपूर्ण पाया जाता है या उसके दोषपूर्ण होने का सन्देह होता है, तब महानिदेशक, परीक्षा के लिए इस निमित्त उसे अपने द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति या संगठन को परिदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

27. उक्त नियमों के नियम 59 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'59क. किसी विदेशी वायुयान के दोष:—(1) जब कि भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान में, जब कि वह भारतीय क्षेत्र में हो, कोई बड़ी क्षति होती है या बड़ा दोष हो जाता है, तब महानिदेशक उस तथ्य को अभिनिश्चित करने पर, ऐसे वायुयान को उड़ान करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(2) जहां उप नियम (1) के अनुसरण में महानिदेशक किसी वायुयान को उड़ान करने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां वे वायुयान के रजिस्ट्रीकरण के देश के समुचित प्राधिकारी को उस कार्यवाही, जो उसने की है की बाबत जानकारी और सही गई क्षति या पाए गए दोष की बाबत् रिपोर्ट देगा ।

(3) उप नियम (1) के अनुसरण में अधिरोपित प्रतिषेध को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि वायुयान के रजिस्ट्रीकरण के देश का समुचित प्राधिकारी महानिदेशक को निम्नलिखित अधिसूचित नहीं करता है कि—

(क) सही गई क्षति या अभिनिश्चित किए गए दोष को दूर कर दिया गया है;

(ख) सही गई क्षति या पाया गया या अभिनिश्चित किया गया दोष ऐसी प्रकृति का नहीं है जो कन्वेन्शन के अनुसरण में अपनाए गए न्यूनतम अपेक्षाओं को निवारित करे ।

(ग) किसी विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में, वायुयान को यात्रियों के बिना, ऐसे स्थान तक उड़ान करने दिया जाएगा जहां पर वह उड्डयन योग्यता की हालत पुनः प्राप्त कर सके ।

(4) उप नियम (1) के अनुसरण में अधिरोपित प्रतिषेध हटाने में, महानिदेशक वायुयान के प्रचालन के संबंध में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो वायुयान के रजिस्ट्रीकरण के देश के समुचित प्राधिकारी द्वारा उसे अधिसूचित की गई है ।'

28. उक्त नियमों के नियम 60 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

'60. अनुरक्षण, स्तरमान और प्रमाणीकरण—(1) इस नियम में 'अनुरक्षण' का निर्देश उस सभी कार्य के किए जाने के प्रति है जो यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है कि वायुयान उड्डयन योग्य और सुरक्षित है जिसमें वायुयान की सर्विस करना और उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित, वायुयान में सभी परिवर्तन, मरम्मत, अदला-बदली, ओवर हाउल, प्रक्रिया, उपचार, परीक्षण, प्रचालन और निरीक्षण, वायुयान घटक और उपस्कर सब भी हैं ।'

(2)(क) महानिदेशक, किसी वायुयान, वायुयान घटक, उपस्कर की मद और उपस्कर की मद की बाबत, उसकी अनुरक्षण के लिए मानक शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(ख) महानिदेशक, अनुरक्षण अपेक्षाएं अधिसूचित करते समय और अनुरक्षण प्रणाली अनुमोदित करते समय, निम्न बातों को ध्यान में रखेगा—

(1) उपलब्ध अनुरक्षण सुविधाएं;

(2) उड़ान के समय में कलैण्डर समय में या किसी अन्य आधार पर अन्तराल जो निरीक्षणों, परीक्षणों या ओवरहालों के बीच सुरक्षापूर्वक व्यतीत हों; या

(3) अनुरक्षण की बाबत रखे गए अभिलेखों की अन्तर्वस्तु, उनकी व्ययन और उनके परिरक्षण की अवधि ।

(4) कार्यवाही का वह प्रकार जिसमें वायुयान गया हुआ है;

(5) ऐसी दशा जो आर्द्र जलवायु की दशा के समान है या अन्य बातें और उड़ान के मार्ग या प्रयुक्त किए गए अड्डे जिनका उड्डयन योग्यता पर असर हो; और

(6) अन्य कोई सुसंगत विचार ।

(3) लोक परिवहन से जिसमें हवाई कार्य और उड्डयन प्रशिक्षण भी हैं, लगे हुए किसी वायुयान की उड़ान तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि—

(क) उसका अनुरक्षण ऐसी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं किया गया है जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए या जो अनुमोदित अनुरक्षण अनुसूचियों और प्रणाली में अनुबंधित किए जाएं;

(ख) महानिदेशक द्वारा इस प्रयोजना के लिए अनुज्ञप्त या अनुमोदित या प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या उसके अधीन वायुयान का अनुरक्षण नहीं किया गया है; और

(ग) किए गए समस्त अनुरक्षण की बाबत् समुचित रूप से अनुज्ञप्त इंजीनियरों, अनुमोदित या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऐसे 'प्रमाणपत्र' जो महानिदेशक द्वारा विहित किया जाए, के माध्यम से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है ।

(4) प्रमाणपत्र की अन्तर्वस्तुओं, प्ररूप, अवधि या विधिमान्यता व्ययन, परिरक्षण ऐसे प्ररूप और रीति में होगा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(5) यदि इस नियम के अनुसरण में प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात्, कोई वायुयान क्षतिग्रस्त हुआ है या उसमें ऐसा कोई दोष पाया गया है जो कमियों की अनुमोदित सूची में आने वाले दोषों से भिन्न हैं जिनके कारण उड़ान के लिए वायुयान असुरक्षित हो जाता है और सामान्य वैमानिक प्रथा के अनुसार पायलट या कर्मीदल द्वारा जिनका सुधार नहीं किया जाता है, तो कोई भी वायुयान उड़ान प्रारंभ नहीं करेगा :

परन्तु महानिदेशक साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी वायुयान को, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे ।

29. उक्त नियमों के नियम 60 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(1) नियम 54 के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरों, प्राधिकृत या अनुमोदित व्यक्तियों की हैसियत में काम करने के लिए और वायुयान के संनिर्माण, मरम्मत ओवरहाल और अनुरक्षण के संबंध में ऐसे प्रमाणपत्रों का जो महानिदेशक द्वारा विहित किए जाएं या इन नियमों के अधीन अपेक्षित हों, हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार और अनुमोदन दे सकेगा ।

30. उक्त नियमों के नियम 67 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा, अर्थात् :—लॉग बुक और लोक—

भारत में रजिस्ट्रीकृत सभी वायुयानों को बाबत निम्नलिखित लॉग बुक रखे जाएंगे और अनुरक्षित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) यात्रा लाग बुक,

(ख) वायुयान लाग बुक,

(ग) वायुयान में लगे हुए प्रत्येक इंजन के लिए लाग बुक

(घ) वायुयान में लगे हुए प्रत्येक अस्थिर पिच नोदक के लिये एक नोदक लाग बुक,

(ङ) ऐसे वायुयान के लिए जिस पर रेडियो समाचित्र फिट किया गया है, रेडियो साचित्र लाग बुक,

(च) अन्य कोई लाग बुक जिसकी अपेक्षा महानिदेशक द्वारा की जाये।

(2) महानिदेशक अपेक्षा कर सकेगा कि किसी वायुयान की वायत सकनीकी लाग या उड़ान लाग की व्यवस्था की जा सकी और उनका ऐसी रीति में अनुरक्षण किया जायेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(3) लाग बुक ऐसे प्रकार की होंगी और उसमें ऐसी जानकारी, प्रविष्टियां और प्रमाणीकरण होंगे जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें। लाग बुक और लाग का ऐसे समय तक परिरक्षा किया जायेगा जो विनिर्दिष्ट किया जाये।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'यात्रा लाग बुक' पद से ऐसी अन्य दस्तावेज भी हैं जिसमें इस निमित अपेक्षित जानकारी है और जो महानिदेशक को स्वीकार्य हो।

31. उक्त नियमों के नियम 133-क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

'133-क' महानिदेशक द्वारा निदेश :

महानिदेशक, वैमानिकों (एन ओ टीए एम एस) की, सूचनाओं, वैमानिक सूचना परिपत्रों के (ए आई सी एल), वायुयान स्वामियों और अनुरक्षण इंजीनियरों को सूचनायें और सिविल उड्डयन योग्यता अपेक्षा के लिए हकदार प्रकाशन के माध्यम से वायुयान अधिनियम, 1934, (1934 का 22) या इन नियमों के असंगत न होने वाले विशेष निदेश भारत में या भारत के ऊपर उड़ने वाले वायुयान या भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान के प्रचालन, उपयोग, कब्जा, अनुरक्षण या परिवहन के संबंध में जारी कर सकेगा।'

32. उक्त नियमों के भाग 12-क के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

'भाग 12-ख प्रचालकों से भिन्न संगठनों के लिए इंजीनियरों, निरीक्षण और सामान्य अपेक्षाएं।

'133-ख अनुमोदित संगठन—

(1) (क) इस भाग में 'संगठन' ऐसे संगठन या व्यक्ति के प्रति निर्देश करता है जो निम्नलिखित एक या अधिक क्रियाकलाप में लगा हुआ है, अर्थात्—

(i) सामग्री, फोर्जिंग, कास्टिंग, मानक भागों सहित वायुयान, वायुयान घटक और उपस्कर की मदों का डिजाइन और विनिर्माण;

(ii) वायुयान घटक और उपस्कर की मदों का अनुरक्षण, ओवरहाल, परिवर्तन, मरम्मत, निरीक्षण, उपचार, संशोधन;

(iii) वायुयान ईंधन, स्नेहकों, विशेष उत्पन्नों का विनिर्माण, भंडारकरण, वितरण और प्रदाय।

(iv) वायुयान, वायुयान घटक, उपस्कर की मदों, सामग्री, मानक भागों का भंडारकरण और वितरण;

(v) प्रयोगशालाएं और उनमें किये जाने वाले परीक्षण;

(vi) प्रशिक्षण विद्यालय।

(ख) इस भाग में 'नियम पुस्तक' से क्वालिटी नियंत्रण पुस्तक, डिजाइन नियम पुस्तिका, प्रशिक्षण नियम पुस्तिका, भंडार सामग्री नियम पुस्तिका अभिप्रेत है जिसकी व्यवस्था उप-नियम (4) के अधीन किसी संगठन द्वारा किये जाने की अपेक्षा है।

(2) किसी संगठन में अर्हित और प्रशिक्षित कर्मचारीवृन्द और परीक्षणों और निरीक्षण साधनों के लिए आवश्यक उपस्कर सहित पर्याप्त सुविधायें होंगी।

(3) महानिदेशक निवेदन किये जाने पर और अपना समाधान कर लेने पर, अनुमोदन की प्रणाली के अधीन किसी संगठन या व्यक्ति को प्रचालन के लिये अनुमोदित कर सकेगा। जहां आवश्यक समझा जाये, वहां ऐसे संगठन और व्यक्तियों से जो विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप में लगे हैं, महानिदेशक किसी अनुमोदित प्रणाली के अधीन प्रचालन की अपेक्षा कर सकेगी, अनुमोदित प्रणाली के अधीन प्रचालन के लिये संगठन या व्यक्ति ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(4) (क) अनुमोदित संगठन, अपने कार्मिकों के उपयोग और मार्गदर्शन के लिए, ऐसी नियम पुस्तिकाओं की व्यवस्था करेगा जिसमें उस संगठन के क्रियाकलापों से संबंधित और महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं और क्वालिटी नियंत्रण पद्धतियों के संबंध में, सूचना के ब्यौरे होंगे।

(ख) नियम पुस्तिका की पूरी प्रति या नियम पुस्तिका के ऐसे भाग जिन्हें महानिदेशक निर्दिष्ट करे, नागर विमानन विभाग के समुचित क्षेत्रीय कार्यालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।

(ग) अनुमोदित संगठन, समय-समय पर अपनी नियम, पुस्तिका का पुनरीक्षण करेगा जब कभी प्रचालनों वायुयान उपस्कर या प्रथाओं या विद्यमान वायुयान उपस्कर या प्रथाओं के साथ अनुभव में परिवर्तन होने के कारण यह आवश्यक हो, ऐसी प्रथाओं या प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण जो वायुयान या उपस्कर की उड्डयन योग्यता या सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं, महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

(5) नियम पुस्तिका की प्रतियां और उनमें संशोधन अनुमोदित संगठन द्वारा अपने ऐसे कर्मकारों को जिन्हें वह आवश्यक समझे, महानिदेशक को और ऐसे अन्य व्यक्ति को जो संगठन के कार्य से संबंधित हैं और जिन्हें महानिदेशक विनिर्दिष्ट करे, दी जायेगी।

(6) संगठन के सदस्य पुस्तिका (पुस्तिकाओं) में अन्तर्विष्ट अपने कर्त्तव्यों से संबंधित सभी अनुदेशों का पालन करेंगे।

(7) संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ऐसे कर्मकारों को आवश्यक अनुदेश देने के लिए व्यवस्था की गई है जो उनके कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के उचित निर्वहन के लिए प्रमाणित करने के लिये प्राधिकृत है।

(8) संगठन अपने क्रियाकलाप के पूरे अभिलेख और ऐसे अन्य अभिलेख जो महानिदेशक द्वारा अपेक्षित किये जायें, रखेगा। अभिलेखों, रिपोर्टों, लागों, आरेखनों की निरीक्षण और जांच पड़ताल के लिये ऐसे समयों पर जैसे वह निर्दिष्ट करे, महानिदेशक को उपलब्ध किया जायेगा। अभिलेख ऐसी अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(9) संगठन ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा जो सिविल उड्डयन योग्यता अपेक्षाओं के हकदार प्रकाशन में विनिर्दिष्ट की जावे।

(10) किसी नियम के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महानिदेशक ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, किसी प्राधिकार

या अनुमोदन को रद्द कर सकेगा निलम्बित कर सकेगा या पृष्टांकित कर सकेगा या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकेगा जिसकी व्यवस्था इस नियम के अधीन ऐसे संगठन या व्यक्ति के विरुद्ध करने के लिये की गई है जिसके बारे में उसका समाधान हो जाता है कि--

(क) इस नियम या सिविल उड्डयन योग्यता अपेक्षा के अधीन महानिदेशक द्वारा अनुबंधित शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) किसी व्यक्ति या संगठन के काम किया है या ऐसे काम की बाबत प्रमाणपत्र दिया है जिसको सावधानीपूर्वक या सक्षम रीति में नहीं किया गया है या अनुमोदन के क्षेत्र के बाहर काम किया है या उचित प्रविष्टियां और उसके प्रमाणीकरण करने में असफल रहा है या किसी अन्य कारण से जिसे महानिदेशक द्वारा इस नियम के अधीन अनुदत्त प्राधिकार या अनुमोदन को रद्द करने, निलंबित करने या पृष्टांकित करने के लिये पर्याप्त समझा गया है।

33. उक्त नियमों के नियम 140 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :--

'140. प्रचालकों द्वारा न्यूनतम अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना:--

सभी वायुयान स्वामी और प्रचालक, भाग 13-क में अन्तर्विष्ट इंजीनियरी, निरीक्षण, नियम पुस्तिका संबंधी अपेक्षाओं और वायु मार्गों, वायुयान और वायु कर्मीदल के संबंध में ऐसी सुरक्षा अपेक्षाओं जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, का अनुपालन करेंगे।

34. उक्त नियमों के भाग 13-क के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--

'भाग 13-क 'इंजीनियरी, निरीक्षण और नियम पुस्तिका संबंधी अपेक्षाएं--स्वामी और प्रचालक।

154. परिभाषाएं--(क) इस भाग में 'इंजीनियरी और निरीक्षण' का निर्देश उस काम के संपादन के प्रति है जो ओवरहाल, अनुरक्षण, परिवर्तन, मरम्मत, अदला-बदली, विनिर्माण, संयोजन, परीक्षण, सुधार निरीक्षण और प्रमाणन सहित वायुयान की उड्डयन योग्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।

(ख) इस भाग में, 'नियम पुस्तका' का निर्देश, यथास्थिति, प्रचालक 'अनुरक्षण प्रणाली नियम पुस्तिका' या प्रचालक 'क्वालिटी नियंत्रण नियम पुस्तिका, या किसी अन्य नियम पुस्तिका के प्रति है जिसमें ऐसे अपेक्षाएं हैं।

155. प्राईवेट वायुयान के स्वामी (1) किसी प्राईवेट वायुयान, वायुयान घटक और उपस्कर की मदों का अनुरक्षण ऐसे किया जायेगा जैसे कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) स्वामी वायुयान, वायुयान घटकों और उपस्कर की मदों जैसे कि वे अनुमोदित नियम पुस्तिका में सम्मिलित हैं, उड़ान के पूरे समय, अंतिम ओवरहाल से की गई उड़ान का समय है और अंतिम निरीक्षण से की गई उड़ान का समय और अन्य आंकड़ों, जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, का पूरा अभिलेख रखेगा।

(3) स्वामी, इंजीनियर, निरीक्षण और नियम पुस्तिका संबंधी अपेक्षाओं जो विस्तृत सिविल उड्डयन योग्यता अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट किये जायें, का अनुपालन करेगा।

155-क प्रचालक---

(1) प्रचालक, अर्हित और प्रशिक्षित कर्मचारीवृन्द तथा कर्मशाला और अन्य उपस्कर, सुविधाओं और निरीक्षण साधनों जो आवश्यक पायें जायें सहित समुचित संगठन में पहुंच पा सकेगा।

(2) निगम, अपने वायुयान और उन व्यक्तियों जिनका यहन वह वायुयान के फलक पर करता है, की सुरक्षा के लिए उड्डयन योग्यता नियंत्रण की प्रत्याशोजित प्रणाली के अधीन प्रचालन के आधार की व्यवस्था करने के लिये अनुमोदित प्रणाली के अधीन प्रचालन करेगा। महानिदेशक, आवेदन किये जाने पर और अपना समाधान होने पर अन्य अनुसूचित और अननुसूचित और हवाई कार्य प्रचालकों और उड्डयन क्लबों को अनुमोदित अनुरक्षण प्रणाली के अधीन प्रचालन करने के लिये अनुमोदन दे सकेगा। तथापि, महानिदेशक, जहां कहीं आवश्यक समझा जाये उनसे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे किसी अनुमोदित अनुरक्षण प्रणाली के अधीन प्रचालन करें अनुमोदित अनुरक्षण प्रणाली के अधीन प्रचालन की मंजूरी देने या उसे जारी करने या उसकी निरन्तर विधिमान्यता के लिये, प्रचालक उन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा जो सिविल उड्डयन योग्यता अपेक्षा में विनिर्दिष्ट है और जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(3)(क) प्रचालक, अपने कार्मिकों के उपयोग और मार्गदर्शन के लिये ऐसी नियम पुस्तिकाओं की व्यवस्था करेगा जिनमें उस प्रचालक के क्रियाकलाप की बाबत नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं और क्वालिटी नियंत्रण पद्धतियों से संबंधित सूचना के ब्यौरे और ऐसी अतिरिक्त जानकारी होगी जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(ख) नियम पुस्तिका की पूरी प्रति या उसके ऐसे भाग जिन्हें महानिदेशक निर्दिष्ट करे नागर विमानन विभाग के समुचित क्षेत्रीय कार्यालय को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

(ग) अनुमोदित प्रचालक, अपनी नियम पुस्तिकाओं को समय-समय पर और अपने प्रचालनों, वायुयान, उपस्कर या प्रथाओं या विद्यमान वायुयान उपस्कर या प्रथाओं के अनुभव के संबंध में परिवर्तन होने के कारण जब कभी आवश्यक पाया जाये, पुनरीक्षित करेगा ऐसी प्रथाओं और प्रक्रियाओं जो वायुयान या उपस्कर की उड्डयन योग्यता या सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, का पुनरीक्षण महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

(4) नियम पुस्तिकाओं की प्रतियां और उनके पुनरीक्षण, अनुमोदित प्रचालक द्वारा अपने ऐसे कार्मिकों को और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो उस प्रचालक के काम से संबंधित हैं और जिन्हें महानिदेशक आवश्यक समझे, दिये जायेंगे।

(5) किसी अनुमोदित प्रचालक के कर्मचारी नियम पुस्तिका (पुस्तिकाओं) में अन्तर्विष्ट अपने कर्त्तव्यों से संबंधित सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।

(6) अनुमोदित प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारों को जो उनके कर्त्तव्यों और दायित्वों के उचित निर्वहन की बाबत प्रमाणित करने के लिये प्राधिकृत हैं, ऐसे अनुदेश जो आवश्यक समझे जायें, देने के लिये व्यवस्था की गई है।

(7) अनुमोदित प्रचालक सहित प्रत्येक प्रचालक, सभी विमान ढांचों, इंजनों, उपकरणों, रेडियो साधित्रों, उपस्कर और पुर्जों की बाबत जो कि अनुमोदित नियम पुस्तिका में हैं, उड़ान के कुल समय अंतिम ओवरहाल से की गई उड़ान का समय और अंतिम निरीक्षण से की गई उड़ान के समय के संबंध में पूरी अभिलेख रखेगा। वे ऐसे अन्य अभिलेख भी रखेंगे जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें और जब कभी वे ऐसी अपेक्षा करें, ऐसे अभिलेख निरीक्षण और जांच पड़ताल के लिये उसे उपलब्ध कराये जायेंगे। अभिलेख ऐसी अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(8) प्रत्येक प्रचालक जिसमें अनुमोदित प्रचालक भी हैं, इंजीनियरी, निरीक्षण और नियम पुस्तिका संबंधी ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा जो कि सिविल उड्डयन योग्यता अपेक्षा में विनिर्दिष्ट की जाये।

(9) किसी नियम के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महानिदेशक ऐसी जांच के पश्चात् जो वह ठीक समझे, किसी अनुमोदन या प्राधिकार को रद्द कर सकेगा, निलंबित कर सकेगा या पृष्ठांकित कर सकेगा या किसी प्रचालक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इस नियम के अधीन तब ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकेगा जब कि उसका यह समाधान हो जाता है कि--

(क) इस नियम के अधीन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई शर्तों और सिथिल उड्डयन योग्यता अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; और

(ख) प्रचालक या किसी अन्य व्यक्ति ने कार्य किया है या ऐसे काम की बाबत प्रमाणपत्र दिया है जो सावधानीपूर्वक या वांछित रीति में नहीं किया गया है या अपने अनुमोदन के क्षेत्र के बाहर कार्य किया है और उनकी बाबत उचित प्रविष्टियां और प्रमाणन करने में असफल रहा है, या कोई अन्य कारण विद्यमान है जिसे महानिदेशक द्वारा इस नियम के अधीन अनुदत्त अनुमोदन या प्राधिकार को रद्द करने, निलंबित करने या पृष्ठांकित करने के लिये पर्याप्त समझा गया है।'

35. उक्त नियमों के नियम 156 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :--

'156. निरीक्षण--(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे इस निमित्त महानिदेशक के साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है,--

(क) सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी ऐसे स्थानों में प्रवेश कर सकेगा जहां उसका इन नियमों के अधीन अपनी शक्तियों का पालन करने या कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये प्रवेश करना आवश्यक हो।

(ख) काम के घंटों के दौरान सभी समयों पर किसी संगठन, कारखाने के उस भाग में या ऐसे स्थान में जिसमें वायुयान, वायुयान घटक, उपस्कर की मदें, सामग्रियों का डिजाइन, विनिर्माण ओवरहाल मरम्मत, परिवर्तन, संयोजन, परीक्षण, भंडारकरण हो रहा हो, में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे संगठन, कारखाने या स्थान, वायुयान, वायुयान घटक और उपस्कर की मद और उससे संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा।

(ग) किसी भी समय, किसी वायुयान का जिसमें ऐसा प्राईवेट वायुयान भी है जिसके बारे में इन नियमों द्वारा उड्डयन योग्य होना प्रमाणित किये जाने की अपेक्षा की गई है या जिसकी बाबत उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र प्रवृत्त है या निलंबित कर दिया गया है या निलंबित किया गया समझा गया है, निरीक्षण कर सकेगा।

(घ) इन नियमों में से किसी नियम या वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये किसी वायुयान में प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा या उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन निरीक्षण करने के लिये महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, वायुयान के स्वामी या प्रचालक और संगठन को वायुयान के निरीक्षण, विनिर्माण और अनुरक्षण की पद्धति की बाबत सलाह देगा।'

36. उक्त नियमों के नियम 157 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :--

'157. दस्तावेजों की कपटना--कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, प्राधिकार या अनुमोदन को कपटापूर्वक किराये पर नहीं देगा या उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयुक्त नहीं करने देगा।'

37. उक्त नियमों की अनुसूची 3, 8 और 10 का लोप किया जायेगा।

[फा० नं० 10-ए/10-70/एआर/एएम(4)/76]
एम० एकाम्बरम, उप सचिव

**G.S.R. 1202.**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely :—

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Fourth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 1976.

2. In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,—

(1) in sub rule (1),

(i) for clause (5), the following clause shall be substituted, namely :

'(5) "Aeroplane" means a power-driven heavier-than-air aircraft, deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic reactions on a surfaces which remain fixed under given conditions of flight;';

(2) after clause (7), the following clause shall be inserted, namely :—

'(7-A) "Aircraft component" means any part, the soundness and correct functioning of which, when fitted to an aircraft, is essential to the continued airworthiness or safety of the aircraft and includes any item of equipment;';

(3) for clause (8), the following clause shall be substituted, namely :—

'(8) "Airship" means a power-driven lighter-than-air aircraft;';

(4) after clause (9), the following clause shall be inserted, namely :—

'(9-A) "Air Transport undertaking" means an undertaking whose business includes the carriage by air of passengers or cargo for hire or reward;';

(5) after clause (10), the following clause shall be inserted, namely :—

'(10-A) "Approved maintenance system" means the maintenance system approved by the Director General of Civil Aviation;';

(6) for clause (11), the following clause shall be substituted, namely :—

'(11) "Balloon" means a non-power-driven lighter-than-air aircraft;';

(7) after clause (11), the following clause shall be inserted, namely :—

'(11-A) "Certificate of airworthiness" means a certificate issued under these rules;';

(8) after clause (13), the following clause shall be inserted, namely :—

'(13-A) "Convention" means the Convention relating to International Civil Aviation signed at Chicago on the 7th day of December, 1974, as amended from time to time;';

(9) after clause (21), the following clause shall be inserted, namely :—

'(21-A) "Flight Manual" means a manual associated with the certificate of airworthiness, containing limitations within which the aeroplane is to be considered airworthy, and contains instructions and information necessary to the flight crew members for the safe operation of the aeroplane;';

(10) after clause (25), the following clause shall be inserted, namely :—

'(25-A) "Foreign Aircraft" means an aircraft registered in a country other than India;';

(1) for clause (26), the following clause shall be substituted, namely :—

'(26) "Glider" means a non-power-driven heavier-than-air aircraft, deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic reactions on surfaces which remain fixed under given conditions of flight;';

(12) after clause (32), the following clause shall be inserted, namely :—

'(32-A) "Item of equipment" means any self-contained unit, which, when attached to, or installed in an aircraft, performs a function essential under certain operating conditions of airworthiness or safety of the aircraft or its occupants;';

(13) after clause (33), the following clause shall be inserted, namely :—

'(33-A) "Licence" means a licence issued under these rules;';

(14) after clause (57), the following clause shall be inserted, namely :—

'(57-A) "Type Certificate" means a certificate issued or validated by the Director General to signify that the design of a type of aircraft, aircraft component or item of equipment, complies with the applicable design standard specified or approved by the Director General;';

(ii) after sub-rule (2) the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2-A) Any power or duty conferred or imposed by these rules on the Director General may be exercised or discharged by the Director General or by any person authorised by the Central Government in that behalf".

3. For rule 7 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"7. Documents to be carried on aircraft :—

(1) No person shall fly an aircraft unless valid documents, as required by the law of the country in which the aircraft is registered, are carried on board and are kept in such form and manner as laid down by that country.

(2) An aircraft registered in India shall carry on board valid documents as required by these rules :

Provided that where a licence or other document has been submitted to a competent authority under these rules for renewal or other action, that fact shall be deemed a valid excuse for its not being carried on board the aircraft."

4. For rule 7-B of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"7-B. Carriage of Cock-pit Check Lists in aircraft.— Every aircraft registered in India shall carry Cockpit Check Lists and Emergency Check Lists specified by the Director General for that particular type of aircraft. Such lists shall be carried in the cockpit of the aircraft readily accessible to the pilot in flight.".

5. In rule 15 of the said rules,—

(i) in the existing proviso, for the words "Provided that", the words "Provided further that" shall be substituted;';

(ii) before the proviso as so amended, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that any aircraft may be flown within the close vicinity of an aerodrome or the place of its departure, without a valid certificate of a airworthiness for the purpose of test".

6. In rule 17 of the said rules, after the word "certificate", wherever it occurs, the words "authorisation and approval" shall be inserted.

7. In rule 19 of the said rules,—

(1) in the marginal heading, for the words "and certificate", the words "certificates, authorisation and approval" shall be substituted;

(2) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) the Central Government may cancel or suspend any certificate granted under these rules relating to airworthiness of an aircraft or a Type Certificate of an aircraft component, or item of equipment if the Central Government is satisfied that a reasonable doubt exists as to the :—

(a) safety of the aircraft or the type of aircraft; or

(b) the airworthiness of the aircraft component or item of equipment in respect of which a Type Certificate exists, and may vary any condition attached to any such certificate if the Central Government is satisfied that reasonable doubt exists as to whether such conditions afford a sufficient margin of safety.";

(3) in sub-rule (3),—

(a) after the word "licence" wherever it occurs, the words, "authorisation and approval" shall be inserted;

(b) the Note shall be omitted;

(4) in sub-rule (4), after the word "certificate", the words "authorisation and approval" shall be inserted;

(5) in sub-rule (5),—

(a) after the word "certificate", the words, "authorisation an dapproval" shall be inserted;

(b) at the end, the following 'Note' shall be inserted, namely :—

"NOTE.—The decision of the Central Government as to whether any ground constitutes sufficient ground for suspension of any certificate, rating, licence, authorisation or approval in the public interest under the foregoing sub-rules shall be final and binding.".

8. In rule 25 of the said rules,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The owner or the operator and the pilot in-command of every aircraft registered in India, shall exhibit or cause to be exhibited in prominent place(s) in the aircraft notice(s) stating where and to what extent smoking is prohibited or permited therein.";

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) No person shall smoke—

(a) in any part of an aircraft or in its vicinity, in which a notice is displayed indicating that smoking is prohibited,

(b) anywhere in an aircraft during take-off, landing or refueling or during a period in which a notice is temporarily displayed indicating that smoking is prohibited.".

9. For sub-rule (1) of rule 30 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) the authority empowered to register aircraft and to grant certificate of registeration in India shall

be the Central Government. The certificate of registration shall include the following particulars; namely :—

'type of aircraft, constructor's number, nationality and registration marks referred to under these rules, full name, nationality and address of the owner, usual station of aircraft and the date of registration'."

10. In clause (d) of rule 33 of the said rules for the words "Central Government", wherever they occur, the words "Director General" shall be substituted.

11. For rule 36 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"36. Register of aircraft. A register of aircraft registered in India shall be maintained by the Director General and shall include the particulars as provided for in respect of certificate of registration in rule 30. Such a register shall be open to inspection by members of the public at such times and subject to such conditions as may be specified by the Director General.".

12. For sub-rule (2) of rule 37 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The nationality and registration marks—

(a) shall be painted on the aircraft or shall be fixed thereto by any other means ensuring a similar degree of permanency in the form and manner as specified by the Director General, from time to time.

(b) shall be inscribed together with full name and address of the registered owner of the aircraft on the owner's name plate in the form and manner specified by the Director General, from time to time, and

(c) shall always be kept clean and visible."

13. For rule 49 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"49. Type Certificate for an aircraft, aircraft component and items of equipment, designed or manufactured in India and issue of Type Certificate.—

(1) The Director General may direct by general or special order that there shall be Type Certificate in respect of any aircraft, aircraft component or item of equipment designed, manufactured, sold or distributed in India, as a pre-requisite to the issue, renewal or continued validity of a certificate of airworthiness, in respect of an aircraft in which an aircraft component or item of equipment of that type has been fitted or installed.

(2) A person may apply to the Director General for issue of a Type Certificate in respect of any aircraft, aircraft component or item of equipment.

(3) The Director General may issue a Type Certificate when—

(a) an applicant furnishes such documents or other evidence relating to the suitability of the aircraft, aircraft component or item of equipment for aviation purposes as may be specified, inclusive of a flight test, if necessary, as the Director General may require. The applicant shall provide all necessary facilities for such inspection and tests as may be stipulated; and

(b) the Director General is satisfied as to its suitability for aviation purposes.".

14. After rule 49 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely :—

"49-A. Issue of Type Certificate to an aircraft, aircraft components and items of equipment imported in India.—

(1) The Director General may direct by general or special order that there shall be a Type Certificate in respect of any aircraft, aircraft components or item of equipment imported in India.

(2) The Director General may issue a Type Certificate in respect of any aircraft, aircraft component or item of equipment imported in India.

49-B. Validation of Type Certificate for aircraft, aircraft components and items of equipment imported in India.—The Director General may validate a Type Certificate in respect of any aircraft, aircraft component and item of equipment, that may be imported :

Provided that—

(a) the airworthiness authority of the country in which it is manufactured has issued a Certificate of Airworthiness, Type Certificate or a similar document in respect of that aircraft, aircraft component, or item of equipment, as the case may be;

(b) it meets with the airworthiness requirements which may be laid down by the Director General; and

(c) the applicant furnishes such documents and technical data regarding the suitability of the product for aviation purposes as may be specified and as the Director General may require :

Provided furher that the Director General may, by order in writing, and subject to such conditions as may be stated in that order, exempt any aircraft, aircraft component or item of equipment from the provisions of this rule.

49-C. Type Certificate—aircraft categories.—The Type Certificate of an aircraft when issued or validated may be grouped as an aircraft in one or more categories, as may be specified. The operation of the aircraft shall be restricted those authorised.

49-D. Cancellation, suspension or endorsement on Type Certificate.—If at any time, the Director General is satisfied that there is a reasonable doubt to indicate that the safety of the aircraft is imperilled because of a defect in the aircraft, aircraft component or item of equipment of that aircraft, he may cancel, suspend or endorse the Type Certificate issued or validated for the aircraft, aircraft component or item of equipment or may require the incorporation of any modification as a condition of the Type Certificate remaining in force, as the case may be".

15. For rule 50 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"50. Certificate of airworthiness.—The owner or operator of an aircraft may apply to the Director General for the issue or renewal of a certificate of airworthiness in respect of the aircraft or for the validation of a certificate of airworthiness issued elsewhere in respect of the aircraft.

(2) The Director General may issue or renew a certificate of airworthiness in respect of an aircraft when—

(a) the applicant furnishes such documents or other evidence relating to the airworthiness of the aircraft as may be specified and as the Director General may require by special or general order, and

(b) the Director General is satisfied that it is airworthy.

(3) The Director General may validate a certificate of airworthiness in respect of any aircraft that may be imported :

Provided that—

(a) the airworthiness authority of the country in which the aircraft is manufactured, has issued a certificate of airworthiness or such equivalent document;

(b) the airworthiness requirements as may be laid down by the Director General are complied with; and

(c) the applicant furnishes necessary documents and technical data relating to the aircraft as may be specified and as the Director General may require.

(4) The Director General may issue, renew or render valid a certificate of airworthiness in one or more of the categories of aircraft as may be specified. The operations of the aircraft shall be restricted to those categories authorised in the certificate of airworthiness.

(5) Subject to these rules, a certificate of airworthiness shall remain in force for such period as may be specified in the certificate and may from time to time renewed by the Director General. In addition, the Director General may require the aircraft to be inspected by a person authorised in this behalf by the Director General or tested in flight, or to be so inspected and so tested and the owner or operator of the aircraft shall give all necessary facilities for such inspection and tests.".

16. After rule 50 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"50-A. Conditions necessary for certificate of airworthiness and inspection, overhaul of aircraft.—The Director General may specify conditions and standards in respect of certificate of airworthiness of a particular type or class of aircraft to ensure safety of the aircraft and of persons on board the aircraft, having regard to the limitations of the aircraft.

(2) If, at any time, the Director General considers that any modification, repair, replacement, inspection or overhaul of any aircraft or type of aircraft or of any aircraft component or item of equipment of that aircraft or type of aircraft is necessary in the interests of safety, he may require the modification, repair, replacement, inspection or overhaul to be carried out as a condition of the certificate of airworthiness remaining in force.".

17. For Rule 51 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely.—"51. Flight Manual.—Where a flight manual is required to be kept in relation to an aircraft in accordance with provisions of these rules, the Director General shall endorse the certificate of airworthiness of the aircraft accordingly.".

18. For rule 52 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely.—"52. Modification and repairs.—(1) A person shall not carry out any modification or repair affecting safety of any aircraft in respect of which there is a valid certificate of airworthiness, unless he has been required to do so in pursuance of these rules or unless he has obtained the prior approval of the Director General.

(2)(a) Modifications issued by the manufacturer of an aircraft, aircraft component or item of equipment of that aircraft which have been issued a Type Certificate by the Director General or elsewhere may be deemed as approved modifications, unless otherwise specified by the Director General.

(b) Repair schemes issued by the manufacturer of an aircraft, aircraft component or item of equipment of that aircraft issued with a Type Certificate by the Director General or elsewhere and other repairs carried out in accordance with standard aeronautical engineering practice may be deemed as approved unless otherwise specified by the Director General.

(3) The Director General may give approval for repair or modification other than those referred to in sub-rule (2), of an aircraft, aircraft component, or item of equipment of that aircraft, where the owner or operator furnishes such evidence relating to the intended modification or repair and its effect on the airworthiness of aircraft as specified by the Director General.

(4) Modification which have been approved by the Director General for one aircraft, aircraft component, item of equipment may be incorporated in others of the same type provided it is within the terms of approval.

(5)(a) While an aircraft has been modified or repaired after a major damage or major defect, the aircraft shall not be flown until an appropriately licensed engineer or an authorised person has certified in the manner specified by the Director General that the aircraft is in a fit condition to be flown for purpose of experiment or test, as the case may be.

(b) While an aircraft component or item of equipment has to be modified or repaired, it shall not be released until it is certified by an appropriately licensed engineer or an authorised person as may be specified by the Director General.

(6) The form and manner of distribution of the certificate and its copies referred to in the above sub-rules and preservation thereof shall be as may be specified by the Director General.

(7) A certificate in pursuance of the preceding sub-rules shall not be issued unless the materials, parts, method comply with such designs, drawings, specifications or instructions as may be issued by the manufacturers or as may be specified or approved by the Director General. The method and the workmanship shall be in accordance with standard aeronautical practice or as may be approved by the Director General.".

19. For rule 53 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"53. Use of materials, processes, parts and periodical overhaul of aircraft.—Every aircraft required under these rules to be provided with a certificate of airworthiness and aircraft components and items of equipment on such aircraft shall periodically be inspected, overhauled and certified on completion of the prescribed flight time or calendar time or on the basis of any other stipulated condition in accordance with the approved maintenance schedules or approved maintenance system. Such inspection and certification shall be effected by appropriately licensed engineers or authorised persons as may be specified by the Dirctor General.

(2) A certificate to be issued in pursuance of sub-rule (1) shall not be issued unless the materials, processes, parts, method comply with such designs, drawings, specifications, or instructions as may be issued by the manufacturers or as may be specified or approved by the Director General. The method and workmanship shall be in accordance with standard acronautical practice or as may be approved by the Director General.

(3) Notwithstanding the foregoing provisions, the Director General may grant exemption by general or special order in writing to any person or class of persons from the operation of the foregoing sub-rules either wholly or partly, subject to such conditions, if any, as may be specified in such order.".

20. After rule 53 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"53-A. Manufacture, storage and distribution of all aircraft.—The manufacture, storage and distribution of aircraft, aircraft components and items of equipment or any other material used or intended to be used in an aircraft, whether or not a certificate of airworthiness has been or is required to be issued, renewed or rendered valid for such aircraft, under these rules, shall be undertaken and certified only by approved organisations, by licensed engineers or by authorised persons in this behalf. The form and manner and the distribution of the certificate and its copies and preservation thereof shall be as may be specified by the Director General.".

21. For rule 54 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"54. Persons authorised to certify.—The certification required under Parts VI, XIIB and XIIIA of these rules shall be signed by appropriately licensed engineers or authorised persons qualified under the terms and conditions of the licence, authorisation or approval, as the case may be, to carry out or inspect the manufacture, process, modification, repair, replacement, overhaul or maintenance, to which the certificate relates or by an approved person or persons authorised by organizations approved by the Director General in this behalf or when these have been carried out at a suitably equipped Indian Air Force Establishment by its Officer-In-Charge :

Provided that in one or more class of aircraft, such of the work, if performed in accordance with approved procedures, practices and methods as may be specified by the Director General, need not be supervised or certified by the approved organisation, licensed engineers or authorised persons in this behalf.".

22. For rule 55 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"55. Suspension or cancellation of Certificate of Airworthiness and its continued validity.—The certificate of airworthiness of an aircraft shall be deemed to be suspended when an aircraft—

(a) ceases or fails to conform with the requirement of these rules, in respect of operation, maintenance, modification, repair, replacement, overhaul, process or inspection, applicable to that aircraft; or

(b) is modified or repaired otherwise than in accordance with the provisions of these rules; or

(c) suffers major damage; or

(d) developes a major defect which would affect the safety of the aircraft or its occupants in subsequent flights.

(2) If, at any time, the Director General is satisfied that reasonable doubt exists as to the safety of an aircraft or as to the safety of the type to which that aircraft belongs, he may—

(a) suspend or cancel the certificate of airworthiness in respect of the aircraft; or

(b) require the aircraft or an aircraft component or an item of equipment of that aircraft to undergo such modification, repair, replacement, overhaul, inspection including flight tests and examination under the supervision of an approved person as the Director General may specify, as a condition of the certificate of airworthiness remaining in force.

(3) Subject to sub-rule (4), an aircraft shall not be flown during any period for which its certificate of airworthiness is suspended or deemed to be suspended.

(4) Where the certificate of airworthiness of an aircraft is suspended or deemed to be suspended, the Director General may, upon an application made by the owner or operator of the aircraft and subject to such requirements as may be specified by him, having regard to the safety of the aircraft and persons thereon,—

(a) permit the aircraft to ferry-fly to a place without passengers on board, where the maintenance required to remove the suspension of the certificate of airworthiness can be performed in accordance with the rules;

(b) authorise flights for the purpose of experiment or tests;

(c) authorise flights where the safety or succour of persons or aircraft is involved;

(d) authorise flights for special purposes.

(5) The Director General may, by general or special order and subject to such conditions as may be specified in that order, exempt any aircraft from the operation of any provision of this rule.",

23. For rule 56 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"56. Indian aircraft operating outside India.—Where an aircraft registered in India is operating in country outside India, the aircraft, or any of its components or items of equipment shall not be modified, repaired, replaced, inspected or overhauled except by or under the supervision of, and certified by—

(a) in the case of a Contracting State, a person who is approved for the purpose by the appropriate authority of Contracting State in accordance with the minimum requirements adopted in pursuance of the Convention and recognized by the Director General as sufficient for the purpose;

(b) in the case of a country other than a Contracting State, a person who possesses qualifications which are recognized by the Director General as sufficient for the purpose.".

24. For rule 57 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"57. Instruments and equipment.—Every aircraft shall be fitted and equipped with the instrument and equipment including radio apparatus and special equipment as may be specified according to the use and circumstances under which the flight is to be conducted.

(2) Such instruments and equipment shall be of an approved type and installed in an approved manner and shall be maintained in a serviceable condition."

25. For rule 58 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"58. Weight and balance.—(1) Every aircraft shall be weighed and appropriately marked and centre of gravity determined. The weight schedule and the load sheet indicating the calculated centre of gravity position(s) relating to the required configuration(s) shall be displayed or carried on board an aircraft subject to such conditions as may be specified by the Director General.

(2) (a) An aircraft shall not attempt to take off, fly or land at a weight in excess of the maximum permissible weigh as specified in the certificate of airworthiness or as authorised by the Director General.

(b) The load of an aircraft throughout a flight including take-off and landing shall be so distributed that the centre of gravity position of the aircraft falls within the limitations specified or approved by the Director General :

Provided that the Director General may, by special order in writing and subject to such conditions as may be specified in that order, exempt any aircraft from the operation of this rule."

26. For rule 59 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"59. Defects and defective parts.—(1) A major defect in or a major damage to an aircraft registered in India shall be reported in the manner specified by the Director General.

(2) When any part of an aircraft is revealed or suspected to be defective, the Director General may required it to be delivered to a person or organization authorised by him, in this behalf for examination."

27. After rule 59 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"59-A. Defects in a foreign aircraft.—When an aircraft registered outside India, whilst in Indian territory sustains major damage or a major defect is found, the Director General, on ascertaining that fact, may, prohibit the aircraft from flying.

(2) Where, in pursuance of sub-rule (1), the Director General prohibits an aircraft from flying, he shall furnish to the appropriate authority of the country of registration of the aircraft information of the action which he has taken and a report of the damage suffered or defect found.

(3) The prohibition imposed in pursuance of sub-rule (1) shall not be removed until the appropriate authority of the country of registration of the aircraft notifies to the Director General—

(a) that the damage or defect suffered or ascertained has been removed;

(b) that the damage suffered or defect found or ascertained is not of such a nature as to prevent minimum requirements of safety adopted in pursuance of the Convention; or

(b) that the damage suffered or defect found or ascertained aircraft should be permitted to fly without passengers to a place at which it can be restored to an airworthy condition.

(4) In removing the prohibition imposed in pursuance of sub-rule (1), the Director General may impose such conditions on the operation of the aircraft as are notified to him by the appropriate authority of the country of registration of the aircraft."

28. For rule 60 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"60. Maintenance standards and certification.—(1) In this rule, 'maintenance' refers to performance of all work necessary for the purpose of ensuring that the aircraft is airworthy and safe including servicing of the aircraft and all modification repairs, replacements, overhauls, processes, treatment, tests, operations and inspection of the aircraft, aircraft components and items of equipment required for that purpose.

(2) (a) The Director General may, in respect of any aircraft, aircraft component and item of equipment, specify standards and conditions for its maintenance.

(b) The Director General while notifying the maintenance requirements and while approving a maintenance system shall have regard to—

(i) The maintenance facilities available;

(ii) intervals in flight time, calendar time or any other basis, which may elapse with safety between inspections, tests, or overhauls;

(iii) the content, disposition and period of preservation of the records kept in respect of maintenance;

(iv) type of operation in which the aircraft is engaged;

(v) any conditions like dust, salt-air climate conditions or other factors and the routes flown or basis used which may have an effect upon airworthiness; and

(vi) any other relevant considerations.

(3) Any aircraft engaged in public transport including aerial work and flying training shall not be flown unless—

(a) it has been maintained in accordance with such requirements as may be specified by the Director General or as stipulated in the approved maintenance schedules or system;

(b) maintenance of the aircraft has been carried out by or under the supervision of a person licensed or approved or authorised for the purpose by the Director General; and

(c) all maintenance carried out has been certified by appropriately licensed engineers, approved or authorised persons within the period specified by means of such a 'certificate' as may be prescribed by the Director General.

(4) The Contents, form, period or validity disposition, preservation of the certificate shall be in such form and manner as may be specified by the Director General.

(5) No aircraft shall commence any flight if subsequent to the issue of a certificate in pursuance of this rule, it has suffered any damage or revealed any defect, other than items covered in the approved List of deficiencies, which would render the aircraft unsafe for flight and which would not, in accordance with the ordinary aeronautical practice, be remedied by the pilot or crew :

Provided that the Director General may, by general or special order and subject to such conditions as may be specified in that order, exempt any aircraft from the operation of this rule".

29. For sub-rule (1) of rule 61 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) For the purpose of rule 54, the Central Government may grant licences, authorisations and approvals to persons to act in the capacity of aircraft maintenance engineers/authorised or approved persons, and to sign in connection with construction, repair, overhaul and maintenance of aircraft such certificates as may be prescribed by the Director General or required under these rules".

30. For rule 67 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely :—

"67. Log books and logs.—The following log books shall be kept and maintained in respect of all aircrafts registered in India, namely :—

(a) A journey log book;

(b) an aircraft log book;

(c) an engine log book for each engine installed in the aircraft;

(d) a propeller log book for every variable pitch propeller installed in the aircraft;

(e) a radio apparatus log book for aircraft fitted with radio apparatus;

(f) any other log book that may be required by the Director General.

(2) The Director General may require that a technical log or flight log be provided in respect of an aircraft and be maintained in such manner as may be specified by him.

(3) Log books shall be of such type and shall contain such information, entries and certification as may be specified by the Director General, log books and logs shall be preserved until such time as may be specified.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression 'journey log book' includes any other document containing the requisite information in this behalf and acceptable to the Director General".

31. For rule 133-A of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"133-A. Directions by Director General.—The Director General may, through Notices to Airmen (NOTAMS), Aeronautical Information Publications, Aeronautical Information circulars (IACs) Notices to Aircraft owners and Maintenance Engineers and publication entitled civil airworthiness requirements issue special directions not inconsistent with the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) of these rules, relating to the operation, use, possession, maintenance of navigation of aircraft flying in or over India or of aircraft registered in India".

32. After Part XII-A, of the said rules, the following Part shall be inserted, namely :—

"Part XII-B-Engineering, inspection and normal requirements for organisations other than operators.

133-B. **Approved Organisations :—**

(1) (a) In this part 'organisation' refers to an organisation or a person engaged in one or more or the following activities, namely :—

(i) design and manufacture of aircraft, aircraft components and items of equipment including materials, forging, castings, standard parts,

(ii) maintenance, overhaul, modification, repair, inspection, treatment, processing of aircraft component and items of equipment,

(iii) manufacture, storage, distribution and supply of aircraft fuel, lubricants, special products,

(iv) storage and distribution of aircraft, aircraft components, items of equipment, materials, standard parts.

(v) laboratories and tests to be carried out therein,

(vi) training schools,

(b) In this part 'manual' means Quality Control Manual, Design Manual, Training Manual, Stores Manual required to be provided by an organisation under sub-rule (4).

(2) An organisation shall have adequate facilities including qualified and trained staff and necessary equipment for tests and inspection aids.

(3) The Director General, may, on request and on being satisfied approve an organization or person operate under the system of approval. Where considered necessary, organisation or persons engaged in specific activities may be required by the Director General to operate under an approved system. For operating under an approved system, the organisation or person shall comply with such requirements as may be specified by the Director General.

(4) (a) An approved organisation shall provide for the use and guidance of its personnel, manuals, which shall contain details of information concerning policies, procedures, practices and qualify control methods relating to activities of that organization and as may be specified by he Director General.

(b) A complete copy of the manual or such portions of the manual as the Director General may direct shall be submitted to the appropriate regional office of the Civil Aviation Deptt. for approval.

(c) An approved organisation shall revise tis manuals from time to time whenever necessary as a result of changes in its operations, aircraft equipment or practices or experience with the existing aircraft equpment or practices. Any revision of practices and procedures which affect the airworthiness or safety of the aircraft or equipment shall be subject to the prior approval of the Director General.

(5) Copies of the manual and amendments thereto shall be furnished by the approved organization to such of its personnel as considered necessary, to the Director General and to such other person associated with the work of the organisation, as the Director General may specify.

(6) Members of the organisation shall comply with all the instructions relating to their duties as contained in the manual(s).

(7) An organisation shall ensure that provision is made for imparting necessary instructions to its personnel who are authorised to certify for proper discharge of their duties and responsibilities.

(8) An organisation shall maintain complete records of its activities and such other records as may be required by the Director General. The records, reports, logs drawings, shall be made available to the Director General for inspection and check and at such times as he directs. The records shall be kept for such period as may be specified by the Diector General.

(9) An organization shall comply with such requirements as may be specified in the publication titled 'Civil Airworthiness Requirements'.

(10) Without prejudice to the provisions of any rule, the Director General may, after such enquiry as he may deem fit, cancel, suspend or endorse any authorisation or approval or take any other action as provided under this rule against an organisation or a person where he is satisfied that—

(a) the conditions stipulated by the Director General under this rule or under the civil airworthiness requirement, are not being complied with;

(b) a person or organization has performed work, or granted a certificate in respect of the work which has not been performed in a careful or competent manner or has performed work beyond the scope of his or its approval or failed to make proper entries and certification thereof or for any other reason considered by the Director General as sufficient to cancel, suspend or endorse an authorization or approval granted under this rule".

33. For rule 140 or the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"140. Minimum requirements to be complied with by the operators—

All aircraft owners and operators shall comply with the engineering, inspection and manual requirements contained in Part XIII-A and with the safety requirements in respect of air routes, aircraft and air-crew, as may be specified by the Director General".

34. After Part XIII of the said rules, the following Part shall be inserted, namely :—

"Part XIII-A—Engineering, Inspection and Manual requirements—Owners or Operators.

154. **Definitions**—(a) In this Part. "engineering and inspection" refer to performance of all work necessary for ensuring airworthiness and safety of the aircraft, including overhaul, maintenance, modification, repair, replacement, manufacture, assembly, testing, treatment, inspection and certification.

(b) In this part, 'manual' refers to operators' 'Maintenance System Manual' or Operators' Quality Control 'Manual' or any other manual covering such requirements as the case may be.

155. Private aircraft owners—(1) A private aircraft, aircraft components and items of equipment shall be maintained as may be specified by the Director General.

(2) An owner shall maintain complete record of aircrafts, aircraft components and items of equipment as included in the approved manual, of total time flown, the time flown since last overhaul and time flown since last inspection and any other date as may be specified by the Director General. Their records shall be made available for inspection and check and shall be maintained for such period as may be specified by the Director General.

(3) An owner shall comply with the engineering, inspection and manual requirements, as may be specified in expanded civil airworthiness requirements.

155-A. **Operators**—(1) An operator shall have access to an adequate organization, including qualified and trained staff together with workshop and other equipment, facilities and inspection aids as may be found necessary.

(2) The corporation shall operate under an approved maintenance system for providing a basis of operation under a delegated system of airworthiness control for the safety of its aircraft and persons it carries on board the aircraft. The Director General, may, on request and on being satisfied, grant approval for other scheduled and non-scheduled and aerial work operators and flying clubs to operate under approved maintenance system. However, Director General may require them to operate under an approved maintenance system, wherever considered necessary. For the grant or issue and continued validity of operation under the approved maintenance system, the operator shall comply with the requirements specified in the civil airworthiness requirement and as may be specified by the Director General.

(3) (a) An operator shall provide for the use and guidance of its personnel, manuals which shall contain details of information concerning policies, procedures, practices and quality control methods relating to activities of that operator and containing such further information as may be specified by the Director General.

(b) A complete copy of the manual or such portions of the manual as the Director General may direct shall be submitted to the appropriate regional office of the Civil Aviation Department for approval.

(c) An approved operator shall revise its manuals from time to time and whenever found necessary as a result of changes in its operations, aircraft, equipment or practices or experience with the existing aircraft, equipment or practices. Any revision of practices and procedures which affect the airworthiness of safety of the aircraft or equipment shall be subject to the prior approval of the Director General.

(4) Copies of the manual and the revisions thereof shall be supplied by an approved operator to such of its personnel and to such other persons associated with the work of that operator, as the Director General considers necessary.

(5) Employees of an approved operator shall comply with all the instructions relating to their duties as contained in the manual(s).

(6) An approved operator shall ensure that provision has been made for imparting instructions to its personnel authorised to certify as may be considered necessary for the proper discharge of their duties and responsibilities.

(7) Every operator including an approved operator shall maintain complete records of the total time flown, the time flown since last overhaul and the time flown since last inspection of all airframes, engines, instruments, radio apparatus, equipment and accessories as included in the approved manual. They shall also maintain such other records as may be specified by the Director General to whom these records shall be made available for inspection and check, whenever required by him. The records shall be kept for such period as may be specified by the Director General.

(8) Every operator including an approved operator shall comply with engineering inspection and manual requirements, as may be specified in the civil airworthiness requirement.

(9) Without prejudice to the provisions of any rule, the Director General may, after such enquiry as he may deem fit, cancel, suspend or endorse any approval or authorisation or take any other action as provided under this rule against an operator or any other person when he is satisfied that—

(a) the conditions specified by the Director General under this rule and the civil airworthiness requirement are not being complied with; and

(b) operator or any other person has performed work, or granted a certificate in respect of the work which has not been performed in a careful or desired manner or has performed work beyond the scope of its or his approval or failed to make proper entries and certification thereof or for any other reason considered by the Director General to be or take any other action as provided under this rule against or authorization granted under this rule".

35. For rule 156 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"156. Inspection.—(1) Any person, authorised by the Director General by general or special order in writing in this behalf, may—

(a) at all reasonable times enter any place to which access is necessary for the purpose of exercising his powers or carrying out his duties under these rules;

(b) at all times during working hours enter that portion of any organization, factory or place in which aircraft, aircraft components, items of equipment, materials are being designed, manufactured, overhauled, repaired, modified, assembled, tested, stored, and inspect any such organisation, factory or place, aircraft, aircraft component and item of equipment any drawings relating thereto;

(c) at any time inspect any aircraft including a private aircraft which is required by these rules to be certified as airworthy or inrespect of which a certificate of airworthiness is in force or has been suspended or deemed to be suspended;

(d) enter, inspect and search any aircraft for the purpose of securing compliance with any of these rules or the provisions of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934).

(2) Any person authorised by the Director General to inspect under sub-rule (1) shall advise the owner or operator of the aircraft and the organisation in the method of inspection, manufacture and maintenance of aircraft".

36. For rule 157 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"157. Fraudulenture of documents—No person shall fraudulently lend any licence, cetificate, authorisation or approval issued under these rules or allow it to be used by any other person."

37. Schedules III, VIII and X of the said rules shall be omitted.

[F. No. 10-A/10-70/AR/AM(4)/76]

S. EKAMBARAM, Dy. Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1976

**सा०का०नि० 1203.**—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), तथा नियम 12 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख), तथा नियम 24 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के आदेश सं० सी-11012/10/72-टी०ए०-III दिनांक 6 अप्रैल, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं; अर्थात :—

उक्त आदेश की अनुसूची में, :—

(क) भाग-II सामान्य केन्द्रीय सेवा-श्रेणी III में "पर्यटन विभाग (मुख्यालय)" शीर्षक के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

| स्तम्भ 1 | स्तम्भ 2 | स्तम्भ 3 | स्तम्भ 4 | स्तम्भ 5 |
|---|---|---|---|---|
| "सूचना सहायक, लेखापाल, कनिष्ठ अन्वेषक, हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-II) फोटो स्टेट आपरेटर | उप सचिव (प्रशासन) | उप सचिव (प्रशासन) | सभी | पर्यटन महानिदेशक" |
| "सभी अन्य पद" | अवर सचिव (प्रशासन) | अवर सचिव (प्रशासन) | सभी | पर्यटन महानिदेशक" |

(ख) भाग-III सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-IV में "पर्यटन विभाग (मुख्यालय)" शीर्षक के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| सभी पद | अवर सचिव (प्रशासन) | अवर सचिव (प्रशासन) | सभी | पर्यटन महानिदेशक" |

[फा०सं० सी-11012(2)/76-प्रशासन-1-पर्यटन]

बानूराम अग्रवाल, उप सचिव

ORDER

New Delhi, the 30th July, 1976

**G.S.R. 1203.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, and clause (b) of the sub-rule (2) of rule 12, and sub-rule (1) of rule 24, of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendments in the order of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation, No. C-11012/10/72-TA.III, dated the 6th April, 1973, namely :—

In the Schedule to the said order, -

(a) In Part II—General Central Service, Class III, under the heading "Department of Tourism (Headquarters)" for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :—

| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
|---|---|---|---|---|
| "Information Assistant, Accountant, Junior Investigator, Hindi Translator (Grade II) Photo-stat-Operator. . . . . | Deputy Secretary (Administration) | Deputy Secretary (Administration) | All | Director General of Tourism". |
| "All other posts" . . . . . | Under Secretary (Administration) | Under Secrtary (Administration) | All | Director General of Tourism". |

(b) in Part III—General Central Service, Class IV under the heading "Department of Tourism (Headquarters)", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "All posts . . . . . | Under Secretary (Administration) | Under Secretary (Administration) | All | Director General of Tourism." |

[F. No. C-11012(2)/76-Admn. I-Tourism]
BANU RAM AGGARWAL, Dy. Secy.

---

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जून, 1976

**सा० का० नि० 1204.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में वरिष्ठ ऐड्रेसोग्राफ प्रचालक (हिन्दी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय वरिष्ठ ऐड्रेसोग्राफ प्रचालक (हिन्दी) भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

[नियम 2 तथा 3 देखें]

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अध्ययन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| वरिष्ठ एड्रेसोग्राफ प्रचालक (हिन्दी) | 2 | साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' (अननुसचिवीय) (अराजपत्रित) । | 260-6-290-द.रो.-6-326-8-360-द.रो.-8-390-10-400 रु० । | लागू नहीं होता | 18 से 25 वर्ष | 1. मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा जिसमें हिन्दी एच्छिक विषय रहा हो।<br>2. बिजली से चलने वाली स्वचालित एम्बासिंग/मुद्रण मशीन चलाने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव। |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा/की जाएगी | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[फाइल संख्या ए-12018/2/75—स्थापना-I/डी०एस आई]

## MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 21st June, 1976

**G.S.R. 1204.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Addressograph Operator (Hindi) in the Directorate of Advertising and Visual Publicity, namely :—

1. Short title and commencement. : (1) These rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publicity [Senior Addressograph Operator (Hindi)] Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, Classification and Scale of Pay : The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age Limit, Qualifications, etc. : The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification. : No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. : Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of Post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Senior Addressograph Operator (Hindi) | 2 | General Central Service Group C, (Non-ministerial), (non-Gazetted). | Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-360-EB-8-390-10-400. | Not applicable | 18 to 25 years. | 1. Matriculation or its equivalent with Hindi as an elective subject.<br>2. At least one year's experience of operating power driven automatic embossing/printing machines. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer, and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or tansfer, grades from which promotion or deputation/transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | 100% by direct recruitment | Not applicable | Not applicable | Not applicable. |

[File No. A. 12018/2/75-Est. I/DS(I)]

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1976

**सा०का०नि० 1205.**—राष्ट्रपति संविधान, के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संगीत और नाटक प्रभाग (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियम, 1969 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम संगीत और नाटक प्रभाग (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये नियम 28 नवम्बर, 1970 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. संगीत और नाटक प्रभाग (श्रेणी III और IV पद) भर्ती नियम, 1969 में, नियम 1 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का नाम संगीत और नाटक प्रभाग (श्रेणी III और IV पद) भर्ती नियम, 1970 है" ।

**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के भर्ती नियम बनाने का प्रश्न नवम्बर, 1968 में शुरू किया गया था । कार्मिक विभाग (उस समय के गृह मंत्रालय) और दूसरे प्राधिकरणों से सामान्य परामर्श के बाद नवम्बर 1969 में नियमों का मसौदा प्रकाशन के लिए तैयार था । नियमों के हिन्दी अनुवाद में छह माह से अधिक समय लगने के कारण जब नियम जून, 1970 में प्रकाशन के लिए प्रेस में भेजे गए तो संक्षिप्त नाम के साथ वर्ष 1969 नहीं बदला गया । बाद में यह भूल सबार्डिनेट लेजिस्लेशन संबंधी समिति ने निकाली । यह नियम, दिनांक 28-11-70 को राजपत्र में प्रकाशित हुए । सबार्डिनेट लेजिस्लेशन संबंधी समिति की आपत्ति को ठीक करने के लिए नए संशोधन को भूतलक्षी बनाया गया है । प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान संशोधित नियमों को भूतलक्षी बनाने से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[फा० सं० ए०-12018/3/74-प्रशा०-I]
रमेश चन्द्र तिपाठी, उप सचिव

New Delhi, the 21st July, 1976

**G.S.R. 1205.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Song and Drama Division (Class III & Class IV posts) Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Song and Drama Division (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force from 28th November, 1970.

2. In the Song and Drama Division (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1969, for sub-rule (1) of rule 1, the following shall be substituted, namely :—

"Short Title and Commencement : (1) These rules may be called the Song and Drama Division (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1970".

**Explanatory Memorandum**

The question of framing Recruitment Rules for Class III and Class IV posts in the Song and Drama Division of the Ministry of Information and Broadcasting was initiated in November, 1968. After usual consultations with the Department of Personnel (the then Ministry of Home Affairs) and other authorities—the draft of rules was ready for publication in November, 1969. Hindi Translation of the rules took more than six months and ultimately when the rules were sent to the Press for publication June-1970, the year 1969 in short title was not changed. Later on, the mistake was pointed out by the Committee on Subordinate Legislation. The rules were published in the Gazette on 28-11-1970. Present amendment is being given retrospective effect with a view to meet with the objection of the committee on Subordinate Legislation. It is certified that giving of retrospective effect to the present amending rules shall not adversely affect the interest of any person.

[File No. A-12018/3/74-Admn. I]
R. C. TRIPATHI, Dy. Secy.

## पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 1206.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति दण्डकारण्य परियोजना में सहायक कार्यपालक अधिकारी (वरिष्ठ) (तकनीकी) के पद पर भर्ती के नियम, 1976 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम दण्डकारण्य परियोजना में सहायक कार्यपालक अधिकारी (वरिष्ठ) (तकनिकी) के पद पर भर्ती के (संशोधन) नियम, 1976 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. दण्डकारण्य परियोजना में सहायक कार्यपालक अधिकारी (वरिष्ठ) (तकनीकी) के पद पर भर्ती के नियम, 1976 से संबंधित अनुसूची में,—

(क) कालम 11 में किए गए इन्दराजों में "500-900 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "550-900 रुपए" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) कालम 12 में किए गए इन्दराजों से पहले शीर्ष "वर्ग-ख विभागीय पदोन्नति समिति" जोड़ा जाएगा।

[सं० 1 (141)/75-दण्डक]
शान्ति लाल, उप सचिव

## MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 29th July, 1976

**G.S.R. 1206.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Dandakaranya Project Assistant Executive Officer (Senior) (Technical) Recruitment Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Dandakaranya Project Assistant Executive Officer (Senior) (Technical) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Dandakaranya Project Assistant Executive Officer (Senior) (Technical) Recruitment Rules, 1976—

(a) in the entries in column 11, for the letters and figures "Rs. 500—900", the letters and figures "Rs. 550—900" shall be substituted; and

(b) before the entries in column 12, the heading "Group-B Departmental Promotion Committee" shall be inserted.

[No. 1(141)/75-DNK]
SHANTI LAL, Dy. Secy.

(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 1207.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली के कनिष्ठ प्रगति अधिकारी तथा कनिष्ठ क्षेत्री अधिकारी (प्रगति) के भर्ती नियम, 1963 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के कनिष्ठ प्रगति अधिकारी तथा कनिष्ठ क्षेत्री अधिकारी (प्रगति) भर्ती संशोधन नियम, 1976 कहे जा सकेंगे।

(2) ये भारतीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू माने जाएंगे।

2. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के कनिष्ठ प्रगति अधिकारी तथा कनिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारी (प्रगति) भर्ती नियम, 1963 में,—

(1) नियम 5 के बदले, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

5. निरर्हताएं :—ऐसा कोई व्यक्ति ;—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति पर, और जिस व्यक्ति से विवाह किया जाता है, उस पर लागू होने वाले निजी कानून के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है और यदि ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

(2) नियम 7 के बाद, निम्नलिखित नियम को जोड़ दिया जाए अर्थात् :—

'8. छूट :—इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार किए गए आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी'।

(3) कनिष्ठ प्रगति अधिकारी के पद से संबंधित अनुसूची में, कालम 3, 5, 6, 7, 9 और 10 में वर्तमान प्रविष्टियों के बदले, निम्नलिखित प्रविष्टियों को क्रम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

| 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| "रु० 550-20-650-25-750 (परिशोधित)। | प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/अंतरण द्वारा। इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। | 20–25 वर्ष | स्नातक जिसे किसी प्रतिष्ठित फर्म या संगठन भारत सरकार के कार्यालयों, सरकारी या अर्धसरकारी उद्यमों या निकायों में, सामान की खरीद या पूर्ति से संबंधित कार्य का 2 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। | आयु सीमा—लागू नहीं होती<br>शैक्षिक अर्हताएं : लागू होती हैं | प्रोन्नति :<br>पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यभार भत्ता पाने वाले उच्च श्रेणी लिपिक और ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक तथा आशुलिपिक जिन्होंने अपने ग्रेड में 5 वर्ष की लगातार सेवा की हो और जो पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय मैनुअल में निहित खरीद संबंधी प्रक्रिया विषयक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हों।<br>2. प्रतिनियुक्ति अंतरण :<br>अपने ग्रेड में 5 वर्ष की लगातार सेवा सहित केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक तथा केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-3 के आशुलिपिक जो पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय मैनुअल में निहित खरीद संबंधी प्रक्रिया विषयक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हों।<br>नोट—केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा तथा केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मचारियों को पहले 2 वर्षों के लिए कनिष्ठ प्रगति अधिकारी के संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में माना जाएगा। उसके बाद, यदि वे उस पद पर बने रहना चाहेंगे तो उन्हें उक्त सेवा से त्यागपत्र देना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें अपने संवर्ग के पद पर पदावनित होना पड़ेगा।" |

[फाइल सं०-ए 12018/2/73-स्थापना-2]
दर्शन सिंह दुग्गल, अवर सचिव

**(Department of Supply)**

New Delhi, the 14th July 1976

**G.S.R. 1207.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate General of Supplies and Disposals Junior Progress Officer and Junior Field Officer (Progress) Recruitment Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Directorate General of Supplies and Disposals Junior Progress Officer and Junior Field Officer (Progress) Recruitment Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate General of Supplies and Disposals Junior Progress Officer and Junior Field Officer (Progress) Recruitment Rules, 1963—

(1) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

"5. Disqualifications: No person—

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriages and there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

(2) after rule 7, the following rule shall be inserted, namely:—

"8. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.";

(3) in the Schedule against the post of Junior Progress Officer, in columns 3, 5, 6, 7, 9 and 10 for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely: –

| (3) | (5) | (6) | (7) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Rs. 550-20-650-25-750 (Revised)". | "By promotion, failing which by deputation/transfer failing both by direct recruitment." | "20-25 years" | "Graduate with 2 years' experience of work relating to purchase or supply of stores in any reputed firm or Organisation, Government of India offices, Government or semi-Government undertakings or bodies"; | "Age limit:- Does not apply. Educational Qualifications:- Yes."; | "1. Promotion:— Upper Division Clerks with Charge Allowance and Upper Division Clerks and Stenographers in the Regional offices of Directorate General of Supplies and Disposals with 5 years' continuous service in the grade who qualify in a written test on purchase procedures as contained in the Directorate General of Supplies and Disposals Manual.<br>2. Deputation/Transfer:<br>Upper Division Clerks of Central Secretariat Clerical Service and Stenographers Grade III of Central Secretriat Stenographers Service with 5 years' continuous service in the grade who qualify in the written test on purchase procedures as contained in Directorate General of Supplies and Disposals Manual.<br>NOTE: The Central Secretariat Clerical Service and Central Secretariat Stenographers Service personnel will be treated as on deputation to ex-cadre post of Junior Progress Officer for the first 2 years. Thereafter they will have to resign from the Service if they want to continue in the post, otherwise they will have to revert to their cadre post.". |

[File No. A—12018/2/73-Est. II]

D. S. Duggal, Under Secy.

## श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1976

**सा०का०नि० 1208.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वर्ग 3 और 4 (औद्योगिक अधिकरण धनबाद और मुम्बई) भर्ती नियम, 1962 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन भिन्न-भिन्न राज्यों में स्थापित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम न्यायालयों में वर्ग 3 और वर्ग 4 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियोजित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय वर्ग 3 और वर्ग 4 पद भर्ती नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित केन्द्रीय सरकार-औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय के कार्यालयों में वर्ग-3 और वर्ग 4 पदों को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसी व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग का प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

(नियम 2, 3, और 4 देखें)

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| निजी सहायक | 6 | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 लिपिक वर्गीय अराजपत्रित | 210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 रु० (पुनरीक्षण पूर्व) | अचयन | 18 और 25 वर्ष के बीच | मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य साथ ही आशुलिपिक में 120 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए। |
| ज्येष्ठ लिपिक | 7 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 लिपिक वर्गीय अराजपत्रित | 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700 रु० (स्थापित) | अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| उच्च श्रेणी लिपिक | 7 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 लिपिक वर्गीय अराजपत्रित | 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560-रु० | अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| निम्न श्रेणी लिपिक | 13 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग-3 लिपिक वर्गीय अराजपत्रित | 260-6-290-द०रो०-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400 रु० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | मैट्रिक या इसके समतुल्य साथ ही टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो :<br>परन्तु—<br>(क) टंकण में अपेक्षित अर्हता न रखने वाला कोई व्यक्ति इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि उस वेतनमान में द्वितीय और पश्चात्वर्ती वेतन-वृद्धि उसे, तब तक अनुज्ञात नहीं होगी और उस श्रेणी से स्थायीकृत करने या पुष्टिकरण के लिए उसके नाम पर विचार तब तक नहीं होगा जब तक वह टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति अर्जित नहीं कर लेगा ;<br>(ख) शारिरिक रूप से असुविधाग्रस्त कोई व्यक्ति, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है परन्तु टंकण में उक्त अर्हता नहीं रखता है, इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त के लिए रोजगार कार्यालय से सम्बद्ध चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा बोर्ड नहीं है, वहां सिविल सर्जन, प्रमाणित करे कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति टंकण कर सकने की उचित स्थिति में नहीं है। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नती की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा/की जाएगी/किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा | उच्च श्रेणी लिपिकों में से जिनकी इस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा हो, सौ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति के लिए अन्य संगठनों के उच्च श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) । | विभागीय प्रोन्नति समिति वर्ग 3 | यथोक्त |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | 100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा | निम्न श्रेणी लिपिकों में से जिनकी उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा हो प्रोन्नति द्वारा । | यथोक्त | यथोक्त |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | स्तम्भ 11 में विनिर्दिष्ट आरक्षण के अधीन रहते हुए शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | 10 प्रतिशत रिक्तियां केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण के (नियमित स्थापनाओं में के) वर्ग 4 के कर्मचारियों में से भरे जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन आरक्षित रहेंगी :—<br>(i) ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बीच जो निम्नतम शैक्षिक अर्हता अर्थात मैट्रिक या समतुल्य की अपेक्षा पूरी करते हैं तक समिति विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा ;<br>(ii) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए 50 वर्ष) ;<br>(iii) वर्ग 4 में कम से कम पांच वर्ष की सेवा आवश्यक होगी;<br>(iv) इस पद्धति से प्रोन्नति की अधिकतम संख्या निम्न श्रेणी लिपिकों के काडर में वर्ष में होने वाली रिक्तियों के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी । न भरी गई रिक्तियां अगले वर्ष तक अग्रेषित नहीं की जाएंगी । | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दफ्तरी | 7 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग-4 अराजपत्रित | 200-3-206-4-234-द०रो०-4-250 रु० । | अप्रयम | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| चपरासी | 15 | यथोक्त | यथोक्त | लागू नहीं होता | 18 और 25 वर्ष के बीच | मिडिल स्कूल उत्तीर्ण । |
| चौकीदार | 5 | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | वांछनीय : प्राथमिक विद्यालय उत्तीर्ण । |
| झाड़ूकश | 7 | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू होगा या नहीं | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | दो वर्ष |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | मिडिल स्कूल उत्तीर्ण | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | दो वर्ष |
| यथोक्त | यथोक्त | वांछनीय : प्राथमिक विद्यालय उत्तीर्ण । | यथोक्त | यथोक्त यथोक्त | यथोक्त यथोक्त |
| यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

[सं० ए० 11020/37/74-सी०एल० टी०]

बी० वेलायुधन, अवर सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 19th July, 1976

**G.S.R. 1208**.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supression of the Class III and IV (Industrial Tribunals at Dhanbad and Bombay) Recruitment Rules, 1962, the President hereby makes the following rules regulating method of recruitment to Class III and Class IV posts in the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts set up in different States under the Central Sphere, namely :—

1. Short Title and Commencement :—(i) These rules may be called the Central Government Industrial Tribunal cum-Labour Court Class III and Class IV posts Recruitment Rules, 1976.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—These rules shall apply to the Class III and Class IV posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto, in the offices of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts set up in the Central Sphere.

3. Number of posts, classification and scale of pay :—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications :—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or categories of persons.

7. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations and to other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

(See rules 2, 3 and 4).

| Name of the post | No. of posts | Classification whether Gazetted or non-Gazetted | Scale of pay as recommended by the Pay Commission & as accepted by the Govt. of India | Whether selection or non-selection post | Age limit | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Personal Assistant | 6 | General Central Class III Ministrial Non-Gazetted. | Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425 (Pre-revised). | Non-selection | Between 18 to 25 years. | Matriculation or its equivalent with a speed of 120 words per minute in shorthand and 40 words per minute in typing. |
| Senior Clerk | 7 | Do. | Rs. 425-15-500-EB-12-500-EB-15-560-20-700. (Proposed) | Do. | Not Applicable | Not Applicable |
| Upper Division Clerk | 7 | Do. | Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560. | Do. | Do | Do |
| Lower Division Clerk | 13 | Do | Rs.260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400. | Not Applicable | Between 18 & 25 years. | Matriculation or its equivalent with a speed of 30 words per minute in typeing provided that—<br>(a) a person not possessing the required qualification in typewrig may be appointed subject the condition that he shall not be allowed second and subsequent increments in the pay scale and shall not be considered for quasi-permanency or for confirmation in the grade till be acquired a speed of 30 words per minute in typewriting;<br>(b) a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualifications in typewriting may be appointed subject to the condition that the medical board attached to the Employment Exchange for handicapped or where there is no such board, the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type. |
| Daftry | 7 | General Central Service Class IV Non-Gazetted. | Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250. | Non-Selection | Not Applicable | Not Applicable |
| Peon | 15 | Do. | Rs. 196-3-220-EB-3-232. | Not applicable | Between 18 & 25 years. | Middle School pass. |
| Chowkidar | 5 | Do. | Do. | Do. | Do. | Desirable : Primary School pass. |
| Sweeper | 7 | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion | Period of probation, if any | Method of recruitment whether trial promotion/by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled up by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | By direct recruitment. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| Not applicable | 2 years | By promotion failing which by deputation. | 100% by promotion from the Upper Division Clerk with 5 years service in the grade For deputation the Upper Division Clerk from other Organisations may be considered for appointment (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Class III Departmental Promotion Committee. | Do. |
| Not applicable | 2 years | 100% by promotion | By promotion from the Lower Division Clerk with 5 years' service in the grade. | Do. | Do. |
| Not applicable | Not applicable | 100% by direct recruitment subject to Reservation specified in column 11. | 10% of vacancies shall be reserved for being filled up from Class IV employees (borne on regular establishments) of Central Government Industrial Tribunals subject to the following conditions :—<br>(i) Selection will be made through a departmental examination confined to such class IV employees who fulfil the requirement of minimum educational qualification viz. Matriculation or equivalent;<br>(ii) the maximum age for this examination shall be 45 years (50 years for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes employees);<br>(iii) At least five years service in Class IV shall be essential.<br>(iv) The maximum number of promotees by this method shall be limited to 10% of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerks occurring in the year; unfilled vacancies shall not be carried to the next year. | Not applicable | Not applicable |
| Not applicable | 2 years | 100% by promotion | By promotion from Peons with 3 years in the grade. | Class IV Departmental Promotion Committee. | Not applicable. |
| Do. | 2 years | 25% by transfer direct recruitment. | 25% of the vacancies may be filled from amongst sweepers, frashes, chowkidars who possess elementary literacy and have ability to read in Hindi. | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. |

[No. A-11020/37/74-CLT]

V. VELAYUDHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1976

**सा०का०नि०** 1209.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम मंत्रालय में श्रम कल्याण महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ : (1) इन नियमों का नाम श्रम मंत्रालय, श्रम कल्याण महानिदेशक भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. छूट देने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेख-बद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकता है।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | यह प्रवरण-पद है या इतर प्रवरण-पद | सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| श्रम कल्याण महानिदेशक | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय। | 2500-125/2 2750 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति किए जाने वालों पर लागू होंगी | परिवीक्षा काल यदि कोई हो | भर्ती का तरीका—सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की सूरत में वे ग्रेड जिन में पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद हो, तो उसका गठन | वे परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से सलाह ली जानी है |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सेवा संग्रह 'क' के अधिकारी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त के लिए पात्र हों, तथा जिन्हें श्रम कल्याण कार्य का पर्याप्त अनुभव हो। (सामान्यतया प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। स्थानान्तरण : केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अधीन समरूप पद धारण करने वाले अधिकारी। | लागू नहीं होता | जब किसी राज्य सरकार के अधिकारी को स्थानान्तरण पर नियुक्त किया जाना हो। |

[सं० ए-12018(2)/76-प्रशा०-I]

ए० देव, उप सचिव

New Delhi, the 20th July, 1976

G.S.R. 1209.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director General of Labour Welfare in the Ministry of Labour namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Labour, Director General of Labour Welfare Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number, Classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Director General of Labour Welfare | One | General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 2500-125/2-2750. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled up by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Not applicable | By transfer on deputation/transfer | Transfer on deputation :<br>Officers of the Indian Administrative Service and Central Services Group 'A' eligible for appointment as Joint Secretary to the Government of India and having adequate experience of labour welfare work.<br>(Period of deputation shall ordinarily not exceed 5 years).<br>Transfer :<br>Officers holding analogous post under the Central or State Governments. | Not applicable | When a State Government Officer is to be appointed on transfer. |

[No. A-12018/2/76-Admn. I]
A. DEB, Dy Secy.

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1976

**सा०का०नि० 1210.**—कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, निगम के परामर्श करने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों के पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

2. उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का नाम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1976 है।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में—

(i) नियम 5 के उपनियम (1) में "दस रुपये" शब्दों के स्थान पर "बीस रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) नियम 5 के उपनियम (2) के खण्ड (ii) के नोट (3) में "तीस रुपये" शब्दों के स्थान पर "पचास रुपये" शब्द रखे जायेंगे।

[संख्या एस-65012/3/76-एच०आई०]

एस०एस० सहस्रनामन, उप सचिव

New Delhi, the 27th July, 1976

**G.S.R. 1210.**—The following draft of rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rule, 1950 which the Central Government, after consultation with the Corporation, proposes to make in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after forty five days from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft within the period so specified will be considered by the Central Government.

**Draft Rules**

1. These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 1976.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950—

(i) in sub-rule (1) of rule 5, for the words "ten rupees", the words "rupees twenty" shall be substituted;

(ii) in Note (3) under clause (ii) of sub-rule (2) of rule 5, for the words "rupees thirty", the words "rupees fifty" shall be substituted.

[No. S-65012/3/76-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व और बैंकिंग विभाग)**

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1976

**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**

**सा०का०नि० 1211.**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 1976 है।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 56-क में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(5) (i) जब किसी अधिकारी की गलती लोप या अवधार के के कारण, उपनियम (2) के अधीन क्रेडिट दिया गया हो तो उचित अधिकारी, ऐसे क्रेडिट की तारीख से छः मास के भीतर, ऐसे विनिर्माता या निर्धारिती पर जिसे ऐसा क्रेडिट किया गया है, सूचना की तामील करेगा, जिसमें उससे यह हेतुक वर्णित करने की अपेक्षा की जाएगी की उसके द्वारा क्रेडिट का उपयोग करना नामंजूर क्यों न कर दिया जाएगा या यदि उस क्रेडिट का उपयोग पहले ही कर लिया गया हो तो ऐसे क्रेडिट के समतुल्य रकम उससे वसूल क्यों न की जाए:

परन्तु जहां क्रेडिट विनिर्माता या निर्धारिती के जानबूझकर गलत कथन करने, दुरभिसंधि करने या तथ्यों को छुपाने के कारण दिया गया हो वहां खंड (1) का प्रभाव इस प्रकार होगा, मानो "छः मास" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे गए हों।

(ii) सहायक कलक्टर, ऐसे विनिर्माता या निर्धारिती द्वारा जिस पर खंड (i) के अधीन सूचना की तामील की गई है, किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् उस क्रेडिट की रकम, जिसे नामंजूर करना हो (जो हेतुक बताने वाली सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक न हो) अवधारित करेगा और तब ऐसा विनिर्माता या निर्धारिती नामंजूर किए गए क्रेडिट के समतुल्य रकम का, यदि क्रेडिट का उपयोग कर लिया गया हो, संदाय करेगा, या उस प्रकार नामंजूर किए गए क्रेडिट का उपयोग नहीं करेगा।"

[अधिसूचना सं० 224/76-सी० ई० फा० सं० 211/12/73-सी०एक्स 6]

कृष्णाकान्त, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue and Banking)**

**(Revenue Wing)**

New Delhi, the 14th August, 1976

CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 1211.**—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. These rules may be called the Central Excise (Twenty first Amendment) Rules, 1976.

2. In rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, after sub-rlue (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(5)(i) When credit has been allowed under sub-rule (2) on account of an error, omission or misconstruction on the part of an officer, the proper officer may, within six months from the date of such credit serve notice on the manufacturer or the assessee to whom such credit has been allowed, requiring him to show cause why he should not be disallowed to utilize such credit, or why the amount equivalent to such credit should not be recovered from him, if the credit has already been utilized :

Provided that where a credit has been allowed under sub-rule (2) on account of wilful mis-statement, collusion or suppression of facts on the part of the manufacturer or the assessee, the provisions of clause(i) shall have effect as if for the words "six months" the words "five years" were substituted.

(ii)The Assistant Collector, after considering the representation, if any, made by the manufacturer or the assessee on whom notice is served under clause (i), shall determine the amount of such credit to be disallowed (not being in excess of the amount specified in the show cause notice) and thereon such manufacturer or assessee shall pay the amount equivalent to the credit disallowed, if the credit has been utilized, or shall not utilize the credit thus disallowed."

[Notification No. 224/76-C.E.F. No. 211/12/75-CX.6]

KRISHNAKANT, Under Secy

**(आर्थिक कार्य विभाग)**

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1976

**सा. का. नि. 1212.**—भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 के खण्ड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इस अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं ।

भारत सरकार व अरब आर्थिक विकास के लिए आबू धाबी कोष के साथ गढ़वाल ऋषिकेश चीला तापीय विद्युत परियोजना (108 मेंगावाट) के लिए किए गए दिनांक 6 जुलाई, 1976 के ऋण करार की धारा का अनुसरण करते हुए सभी प्रार्थना-पत्र, प्रमाणपत्र अथवा वह कागजात जो आवश्यक हैं और संघ के कार्यकारी शक्ति को प्रयोग में लाकर प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुमत हैं, वह वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के किसी वरिष्ठ लेखा अधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षरित या निष्पादित और प्रमाणित किए जाएंगे ।

राष्ट्रपति के आदेश और उनके नाम से

[संख्या एफ 1(2)/76-एम.ई.सी.]

विनीत नय्यर, निदेशक

**(Department of Economic Affairs)**

New Delhi, the 3rd August, 1976

**G.S.R. 1212.**—In exercise of the powers conferred by Clause (2) of Article 77, read with clause (i) of Article 299 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules, namely :—

All applications, certificates or other documents required or permitted to be signed or executed in exercise of the executive power of the Union in pursuance of the provisions of the Loan Agreement dated July 6, 1976 for Garhwal-Rishikesh-Chila Hydro-Electric Project (108 MW) entered into between the Government of India and the Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development, shall be signed or executed and authenticated on behalf of the President, by any of the Senior Accounts Officers in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

By order and in the name of the President.

[No. F. 1/2/76/MEC]

VINEET NAYYAR, Director.

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1976

**सा० का० नि० 1213.**—राष्ट्रपति, संविधान के, अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम : इन नियमों का नाम 100,000,000 एच०एफ० एल० की रकम के लिए हेग, नैदरलैंडस में स्थापित डे नेडरलैंड से इनवैस्टेरिंग्सबैंक वूर ओंटविक्केलिंग्लैंडेन एन० वी० के साथ तारीख 15 जुलाई, 1976 के उधार करार से संबंधित दस्तावेजों के निष्पादन और अधिप्रमाणन हेतु नियम है।

2. 100,000,000 नैदरलैंडस गिल्डर के उधार के लिये हेग, नैदरलैंडस में स्थापित डे नैडरलैंडसे इनवेस्टेरिंग्स बैंक वूर ओंटविक्केलिंग्स्लैंडन एन० वी० (दि नैदरलैंडस इनवेस्टमेंट बैंक फार डेवलपिंग कन्ट्रीज) के साथ तारीख 15 जुलाई, 1976 के उधार करार के निष्पादन के सम्बन्ध में संघ की कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग करते हुए निष्पादित किए जाने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजें नीचे वर्णित अधिकारियों में से किसी अधिकारी द्वारा निष्पादित और अधिप्रमाणित की जाएंगी:—

(i) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव या उप निदेशक ।

(ii) नैदरलैंडस में भारत का राजदूत या कार्यदूत या नैदरलैंडस में भारत के दूतावास का प्रथम सचिव ।

(iii) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक और ज्येष्ठ लेखा अधिकारी ।

(i) मुख्य लेखा अधिकारी/सहायक मुख्य लेखा अधिकारी, लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग ।

[फा० सं० 14(14)-डब्ल्यू०ई० III/75]

New Delhi, the 9th August, 1976

**G.S.R. 1213.**—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 77, read with clause (i) of Article 299 of the Constitution, the President is pleased to make the following rules namely :—

1. Short Title : These Rules may be called the Rules for Execution and Authentication of documents relating to the Loan Agreement, dated July 15, 1976 with De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N. V. established at The Hague, The Netherlands for an amount of Hfl. 100,000,000.

2. All documents necessary to be executed in exercise of the executive power of the Union in connection with the performance of the Loan Agreement dated July 15, 1976 with De Nederlandse Investringsbank voor Ontwikkelingslanden N. V. (The Netherlands Investment Bank for Developing Countries) established at the Hague, Netherlands for a credit of Netherlands Guilders 100,000,000 shall be executed and authenticated on behalf of the President by any of the officers specified below :—

(i) Joint Secretary, Director, Deputy Secretary, Under Secretary to the Government of India or Deputy Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

(ii) Ambassador or Charge d' Affaires of India in the Netherlands or the First Secretary to the Embassy of India in the Netherlands.

(iii) Controller of Aid Accounts and Audit and Senior Accounts Officer in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

(iv) Chief Accounting Officer/Assistant Chief Accounting Officer, High Commission of India in London.

[F. No. 14(14)-WE. III/75]

**सा० का० नि० 1214.**—राष्ट्रपति, संविधान के, अनुच्छेद 299 के खंड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम: इन नियमों का नाम 130,000,000 एच० एफ० एल० की रकम के लिए हैग, नैदरलैंड्स में स्थापित डे नैडरलैंड्स इनवेस्टेरिंग्सबैंक वूर ओंटविक्केलिंग्स्लैण्डेन एन० वी० के साथ तारीख 15 जुलाई, 1976 के उधार करार के निबन्धानुसार दस्तावेजों के निष्पादन और अधिप्रमाणन हेतु नियम है।

2. 130,000,000 नैदरलैंडस गिल्डर के उधार के लिए हेग, नैदरलैंड्स में स्थापित डे नैदरलैंडसे इनवेस्टेरिंग्सबैंक ओंटविक्केलिंग्स्लैण्डेन एन० वी० (दि नैदरलैंड्स इनवेस्टमेंट बैंक फार डेवलपिंग कन्ट्रीज) के साथ तारीख 15 जुलाई, 1976 के उधार करार के निष्पादन के सम्बन्ध में संघ की कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग करते हुए निष्पादित किए जाने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजें नीचे वर्णित अधिकारियों में से किसी अधिकारी द्वारा निष्पादित और अधिप्रमाणित की जाएंगी:—

(i) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव या उप निदेशक।

(ii) नैदरलैंड्स में भारत का राजदूत या कार्यदूत या नैदरलैंड्स में भारत के दूतावास का प्रथम सचिव।

(iii) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक और ज्येष्ठ लेखा अधिकारी।

(iv) मुख्य लेखा अधिकारी/सहायक मुख्य लेखा अधिकारी, लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग।

[फा० सं० 14(1)-डब्ल्यू० ई० III/76]

राष्ट्रपति के आदेश और नाम से
चमन लाल ग्रोवर, उप निदेशक

**G.S.R. 1214.**—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 77, read with clause (i) of Article 299 of the Constitution, the President is pleased to make the following rules namely :—

1. **Short Title:** These Rules may be called the Rules for Execution and Authentication of documents in terms of the Loan Agreement, dated July 15, 1976 with De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N. V., established at the Hague, The Netherlands for an amount of Hfl. 130,000,000.

2. All documents necessary to be executed in exercise of the executive power of the Union in connection with performance of the Loan Agreement, dated July, 15, 1976 with De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N. V. (The Netherlands Investment Bank for Developing Countries) established at the Hague, Netherlands for a credit of Netherlands Guilders 130,000,000 shall be executed and authenticated on behalf of the President by any of the officers specified below :—

(i) Joint Secretary, Director, Deputy Secretary, Under Secretary to the Government of India or Deputy Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

(ii) Ambassador or Charge d' Affaires of India in the Netherlands or the First Secretary to the Embassy of India in the Netherlands.

(iii) Controller of Aid Accounts and Audit and Senior Accounts Officer in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

(iv) Chief Accounting Officer/Assistant Chief Accounting Officer, High Commission of India in London.

[F. No. 14(1)-WE. III/76]
By Order and in the name of
President of India,
C. L. GROVER, Dy. Dir.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th July, 1976

**G.S.R. 1215.**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Foreigners (Protected Areas) Order, 1958, namely :—

1. (1) This Order may be called the Foreigners (Protected Areas) Amendment Order, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-paragraph (3) of paragraph 1 of the Foreigners (Protected Areas) Order, 1958, the words "and nationals of Nepal" shall be omitted.

[No. 25022/110/76-F. I(i)]

**G.S.R. 1216.**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963, namely :—

1. (1) This Order may be called the Foreigners (Restricted Areas) Amendment Order, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause (a) of the first proviso to paragraph 3 of the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963, the words "or a national of Nepal" shall be omitted.

[No. 25022/110/76-F. I. (ii)]

R. A. S. MANI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.